भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली–110055

वर्ष 1989–90 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है. प्रथम परिषद् का गठन 1971 में किया गया था. भारत के राजपत्र में असाधारण भाग–II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 7.5.84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद् का पुनर्गठन 1984 में किया गया था.

केंद्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :–

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना.

(ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना.

(iii) भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का रख–रखाव और समय–समय पर उसे परिशोधित करना.

(iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना.

स्थापना वर्ष 1971 से ही केंद्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है.

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं. ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित हैं का अनुसरण कर रहे हैं.

परिषद् की संरचना

केंद्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :–

आयुर्वेद

1. डा. डी. राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा. पी. बी. शतकोपाचार्य
3. डा. सुकुमार भट्टाचार्य
4. डा. देवव्रत नारायण सिंह
5. डा. महेश्वर पाण्डे
6. डा. इन्द्रमोहन झा
7. डा. अलख नारायण सिंह
8. डा. जनार्दन एन. दवे
9. डा. दिनेश आर. पटेल
10. डा. कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा. गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरीशंकर द्विवेदी
14. वैद्य पचैया होशमठ
15. डा. ए. सी राहुल कुमार
16. डा. के. माधवन नायर
17. वैद्य प. महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डा. प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी
20. डा. एस. आई. नागराल
21. डा. जी. एम. भवसार (17.7.89 तक)
22. डा. स्वप्नेश्वर पण्डा
23. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
24. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
25. वैद्य उदय शंकर शर्मा
26. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
27. डा. व्ही. नारायण स्वामी
28. डा. रामप्रकाश गुप्ता
29. डा. हुकम चन्द शर्मा
30. डा. राम कुमार शर्मा (12.8.89 तक)
31. डा. प्रेमदत्त शर्मा
32. डा. महेन्द्र दत्त शर्मा
33. डा. डी. रंगाचारी (22.9.89 तक)
34. डा. आनन्द राय
35. डा. पी. शेषी रेड्डी
36. वैद्य के. के. पाण्डे
37. डा. कनकसिंह खीमा भाई झाला
38. डा. सी. पी. छप्पनमठ (22.9.89 तक)
39. वैद्य शामलाल वशिष्ठ (शास्त्री)
40. डा. एल. छिक्काराजना
41. डा. एस. वी सावदी
42. वैद्य भाग्यवती वर्मा (12.5.89 तक)
43. डा. के. पी. श्री कुमारी अम्मा
44. वैद्य महादेव प्रसाद पाण्डे
45. डा. सच्चिदानन्द उपाध्याय
46. डा. ए. के. दुलानी
47. डा. जी. एल. शर्मा
48. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगाणी
49. वैद्य श्री कृष्ण गोविन्द फड़के
50. वैद्य डी. एम. सन्त
51. वैद्य श्री राम शर्मा (22.9.89 तक)
52. प्रो. हरिशंकर पाण्डे (2.5.89 तक)
53. डा. कृष्ण भट्ट कैंतजा
54. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर वारे
55. पं. कीर्ति शर्मा
56. डा. आर. एन सिंह (2.1.90 सेवानिवृत)
57. प्रो. एल. एम. शर्मा
58. वैद्य हरिनाथ उपाध्याय (2.3.90 तक)
59. वैद्य शिवकुमार मिश्र
60. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
61. डा. पी. के. देवनाथ
62. प्रो. आर. सी. चतुर्वेदी
63. वैद्य हरिनारायण स्वामी
64. प्रो. वी. जे. ठक्कर
65. डा. रमेश मिश्र
66. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
67. डा. एस. टी. गूजर
68. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा

69. कविराज नानक चन्द शर्मा
70. वैद्य के. एस. वारियर
71. डा. बी. ए. हीरेमठ
72. डा. सत्यपाल गुप्ता
73. डा. डी. एल. नारायण
74. वैद्य के. सदाशिव शर्मा
75. वैद्य चन्द्रशेखर गौड़
76. डा. पी. सी. भट्टाचार्य

सिद्ध

77. डा. जी. अन्नास्वामी
78. डा. सी. पी. रामनाथन
79. डा. ए. आनन्द कुमर (22.9.89 तक)
80. डा. के. पलानीचामी
81. डा. पी. केशव पिल्लै (29.9.89 तक)

यूनानी

82. हकीम प्रो. अशरफ करीम
83. डा. मदन सरूप गुप्ता
84. हकीम मोहम्मद उमर
85. हकीम धर्मचन्द
86. डा. दौलतराम भराज
87. डा. बन्सीलाल पण्डित
88. डा. अब्दुर्रहमान
89. हकीम अब्दुल मोबिन खान
90. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
91. हकीम मो. इकबाल खान
92. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफाथ्थुल्लाह
93. डा. एम. टी. खान
94. हकीम मो. अहमद लारी
95. डा. सैय्यद शाजी हैदर
96. डा. एस. के. खादरी
97. प्रो. हकीम मो. तैय्यब
98. हकीम एम. ए. रज्जाक
99. हकीम अब्दुल हमीद
110. हकीम फैयाज आलम
101. हकीम फैजान अहमद
102. डा. जे. डी. सन्दरवाले

पदाधिकारी

परिषद के निम्न पदाधिकारी हैं :—

1.	प्रो. हकीम सैय्यद खलीफाथ्थुल्लाह	—अध्यक्ष
2.	डा. रामकुमार शर्मा	—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 12.8.89 तक
3.	वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगाणी	—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 14.2.90 से
4.	हकीम एम. ए. रज्जाक	—उपाध्यक्ष (यूनानी)
5.	डा. ए. आनन्द कुमार	—उपाध्यक्ष (सिद्ध) 22.9.89 तक
6.	डा. एस. आई. नागराल	—सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
7.	प्रो. हकीम मोहम्मद तैय्यब	—सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी)
8.	डा. प्रसन्न कुमार जैन	—सभापति, पंजीयन समिति
9.	वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री	—सभापति, विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केंद्रीय परिषद की निम्न मुख्य समितियां हैं :—

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं.

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं.

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देशों जो समय—समय पर केंद्रीय परिषद् देती है प्रत्येक समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से संबंधित किसी भी विषय को केंद्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है.

केंद्रीय परिषद् ने परिषद् के विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया :

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं तद्धीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केंद्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धांतों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम 1976 की संख्या 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था. समिति भारतीय चिकित्सा की तीनों पद्धतियों अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी से प्रतिनिधित्व की जाती है.

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :

सभापति 1. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफाथ्थुल्लाह (अध्यक्ष)

सदस्य
2. डा. रामकुमार शर्मा (उपाध्यक्ष आयुर्वेद) 12.8.89 तक
3. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी—(उपाध्यक्ष आयुर्वेद) 14.2.90 से
4. हकीम एम. ए. रज़्जाक (उपाध्यक्ष यूनानी)
5. डा. ए. आनन्द कुमार (उपाध्यक्ष सिद्ध) 22.9.89 तक
6. डा. एस. टी. गूजर
7. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
8. डा. रामप्रकाश गुप्ता
9. डा. के. माधवन नायर
10. प्रो. हकीम मो. तैय्यब
11. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
12. डा. के. पलानीचामी

विनियम समिति

समय—समय पर यथा आवश्यक केंद्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया.

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :

सभापति 1. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री

सदस्य 2. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफाथुलाह —अध्यक्ष
3. डा. रामकुमार शर्मा —(उपाध्यक्ष आयुर्वेद) 12.8.89 तक
4. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी —(उपाध्यक्ष आयुर्वेद) 14.2.90 से
5. हकीम एम. ए. रज्ज़ाक —(उपाध्यक्ष यूनानी)
6. डा. ए. आनन्द कुमार —(उपाध्यक्ष सिद्ध) 22.9.89 तक
7. वैद्य मदन मोहन पुष्करणा
8. वैद्य हरिनारायण स्वामी
9. डा. स्वप्नेश्वर पण्डा
10. वैद्य पंचैया होशमठ
11. डा. महेन्द्र दत्त शर्मा
12. डा. जनार्दन एन. दबे
13. डा. पी. बी. शतकोपाचार्य
14. डा. महेश्वर पाण्डे
15. डा. गुलशन राय शर्मा
16. डा. डी. राधाकृष्णामूर्ति
17. डा. जे. डी. सन्दरवाले
18. डा. बन्सीलाल पण्डित
19. डा. अब्दुर्रहमान
20. हकीम धर्मचन्द

पंजीयन समिति

परिषद् ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बंधी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया. पंजीयन से संबंधित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है.

पंजीयन समिति में निम्न सदस्य हैं :

सभापति 1. डा. प्रसन्न कुमार जैन
सदस्य 2. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफाथुल्लाह —अध्यक्ष
3. डा. रामकुमार शर्मा —उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 12.8.89 तक
4. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी —उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 14.2.90 से
5. डा. ए. आनन्द कुमार —उपाध्यक्ष (सिद्ध) 22.9.89 तक
6. हकीम एम. ए. रज्ज़ाक —उपाध्यक्ष (यूनानी)
7. प्रो. आर. सी. चतुर्वेदी
8. डा. कृष्ण चंद्र शर्मा
9. डा. हरिकृष्ण एस. जोशी

11. डा. प्रेमदत्त शर्मा
12. डा. ए. सी. राहुल कुमार
13. डा. डी. आर. पटेल
14. डा. बी. ए. हीरेमठ
15. डा. रामप्रकाश गुप्ता
16. डा. इन्द्र मोहन झा
17. डा. मदन सरूप गुप्ता
18. डा. एम. टी. खान
19. हकीम मो. उमर
20. डा. दौलतराम भराज
21 हकीम फैज़ान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों को करने में सक्षम है. आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समिति के निम्न सदस्य हैं :

आयुर्वेद

सभापति 1. डा. एस. आई. नागराल
सदस्य 2. डा. रामकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 12.8.89 तक
3. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी—उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) 14.2.90 से
4. वैद्य श्री राम शर्मा (22.9.89 तक)
5. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
6. कविराज नानक चन्द शर्मा
7. वैद्य राम प्रकाश स्वामी (2.3.90 तक)
8. वैद्य भाग्यवती वर्मा (12.5.89 तक)
9. डा. आनन्द राय
10. डा. सत्यपाल गुप्ता
11. वैद्य एस. जी. फड़के
12. डा. हुकम चन्द शर्मा
13. डा. रामप्रकाश गुप्ता
14. वैद्य शिवकुमार मिश्र
15. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
16. प्रो. प्रियव्रत शर्मा
17. प्रो. हरिशंकर पाण्डे (2.5.89 तक)
18. डा. रमेश मिश्र
19. डा. बी. एन. गुप्ता
20. डा. श्री नारायण

सिद्ध

सभापति 1. डा. ए. आनन्द कुमार ——उपाध्यक्ष (सिद्ध) 22.9.89 तक
सदस्य 2. डा. के. पलानीचामी
3. डा. जी अन्नास्वामी

यूनानी

सभापति 1. प्रो. हकीम मोहम्मद तैय्यब
सदस्य 2. हकीम एम. ए. रज्ज़ाक, उपाध्यक्ष (यूनानी)
3. हकीम सैय्यद शाजो हैदर
4. हकीम मो. अशरफ करीम
5. हकीम अब्दुल मोबिन खान
6. हकीम अब्दुल हमीद
7. हकीम फैयाज आलम
8. हकीम एस. के. खादरी
9. हकीम मो. इकबाल खान
10. हकीम मोहम्मद अहमद लारी
11. डा. मदन सरूप गुप्ता

वर्ष 1989–90 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई :

1. केंद्रीय परिषद्	——एक
2. आयुर्वेद समिति	——एक
3. सिद्ध समिति	——दो
4. यूनानी समिति	——एक
5. कार्यकारिणी समिति	——तीन
6. शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	——दो
7. शिक्षा समिति (यूनानी)	——दो
8. पंजीयन समिति	——एक

केंद्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 14 से 16 फरवरी, 1990 को सम्पन्न हुई. केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया. केंद्रीय परिषद् ने निम्न अनुशंसाएं की :

आयुर्वेद

1. केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निम्न मार्ग निर्देश अनुमोदित किए :

i. वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्य

संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष और अध्ययन मंडल के प्रधान के लिए भी वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित किसी एक अर्हता का धारक होना चाहिए.

2. केन्द्रीय परिषद् ने संस्था में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर को पंचकर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया.

3. वेंकटरमन आयुर्वेद महाविद्यालय, मद्रास को वर्ष 1989–90 के लिए 20 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी. यह भी निर्णय लिया गया था कि परिदर्शकों द्वारा इंगित त्रुटियों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई प्रगति की जांच हेतु नए सत्र के प्रारम्भ से पूर्व अगला परिदर्शन करवाया जाय.

4. केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अनुशंसात्मक प्रावधानों के रूप में वाक् चिकित्सक एवं श्रवण विशेषज्ञ का पद बनाने की सहमति व्यक्त की.

5. केन्द्रीय परिषद् ने सात विभागों की पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करना स्वीकार किया. 14 विभागों की पद्धति को चरणबद्ध रूप से तथा अस्पतालों की कार्मिक पद्धति को लागू करने हेतु संस्थाओं को बाध्य करने का निर्णय लिया गया.

6. केन्द्रीय परिषद् ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विहित विनियमों को निम्न रूप में संशोधित करना स्वीकार किया :
"स्वस्थवृत्त में पूर्णावधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जाय और अधिकार–पत्र (डिप्लोमा) के लिए प्रावधान रखा जाय तथा स्वस्थवृत्त में आयुर्वेद वाचस्पति पाठ्यक्रम हेतु प्रश्न–पत्रों के नाम सहित पाठ्यविवरण तैयार किया जाय."

7. एस. वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूपति को सत्र 1989–90 के लिए छात्रों के प्रवेश की अनुमति कुछ शर्तों को पूरा करने/कमियों को दूर करने की शर्त पर दी गई. परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा करने के लिए अनुपालन प्रतिवेदन मंगवाने का निर्णय लिया गया कि सत्र 1990–91 के लिए छात्रों के प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाय जब तक कमियों को पूरा नहीं किया जाता.

8. केन्द्रीय परिषद् ने शिक्षकों एवं छात्रों के उपयोग के लिए तिरहुत विद्यापीठ, रांटी, मधुबनी द्वारा निर्मित "आयुर्वेद की अमर कहानी" नामक श्रव्य कैसेट पर किए गए प्रयासों को सराहा.

9. केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में निम्न पुस्तकों के समावेश से सहमति व्यक्त की :

1. अभिनव प्रसूति विज्ञान	——डा. अयोध्या प्रसाद अचल
2. काय चिकित्सा	——डा. शिवचरण ध्यानी
3. बृहत् द्रव्यगुणादर्श	——डा. महेन्द्र कुमार शास्त्री

10. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय कोट्टाकल को कड़ी चेतावनी दी जाय. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय त्रिपुनीथुरा को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति दे दी गई

11. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ प्रवक्ता के पद के लिए संबंधित विषय में प्रवक्ता के रूप में तीन वर्ष का शैक्षिक अनुभव अनिवार्य है. पूर्व निर्णयानुसार प्रवक्ता को सीधे नियुक्त किया जाय.

सिद्ध

सभापति 1. डा. ए. आनन्द कुमार ——उपाध्यक्ष (सिद्ध) 22.9.89 तक

सदस्य 2. डा. के. पलानीचामी

3. डा. जी अन्नास्वामी

यूनानी

सभापति 1. प्रो. हकीम मोहम्मद तैय्यब

सदस्य 2. हकीम एम. ए. रज्ज़ाक, उपाध्यक्ष (यूनानी)

3. हकीम सैय्यद शाजो हैदर
4. हकीम मो. अशरफ करीम
5. हकीम अब्दुल मोबिन खान
6. हकीम अब्दुल हमीद
7. हकीम फैयाज आलम
8. हकीम एस. के. खादरी
9. हकीम मो. इकबाल खान
10. हकीम मोहम्मद अहमद लारी
11. डा. मदन सरूप गुप्ता

वर्ष 1989–90 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई :

1. केंद्रीय परिषद्	——एक
2. आयुर्वेद समिति	——एक
3. सिद्ध समिति	——दो
4. यूनानी समिति	——एक
5. कार्यकारिणी समिति	——तीन
6. शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	——दो
7. शिक्षा समिति (यूनानी)	——दो
8. पंजीयन समिति	——एक

केंद्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 14 से 16 फरवरी, 1990 को सम्पन्न हुई. केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया. केंद्रीय परिषद् ने निम्न अनुशंसाएं की :

आयुर्वेद

1. केन्द्रीय परिषद् ने विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए निम्न मार्ग निर्देश अनुमोदित किए :

1. वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित मान्य

संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/विभागाध्यक्ष और अध्ययन मंडल के प्रधान के लिए भी वह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में सम्मिलित किसी एक अर्हता का धारक होना चाहिए.

2. केन्द्रीय परिषद् ने संस्था में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर को पंचकर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया.

3. वेंकटरमन आयुर्वेद महाविद्यालय, मद्रास को वर्ष 1989–90 के लिए 20 छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी. यह भी निर्णय लिया गया था कि परिदर्शकों द्वारा इंगित त्रुटियों और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई प्रगति की जांच हेतु नए सत्र के प्रारम्भ से पूर्व अगला परिदर्शन करवाया जाय.

4. केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अनुशंसात्मक प्रावधानों के रूप में वाक् चिकित्सक एवं श्रवण विशेषज्ञ का पद बनाने की सहमति व्यक्त की.

5. केन्द्रीय परिषद् ने सात विभागों की पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करना स्वीकार किया. 14 विभागों की पद्धति को चरणबद्ध रूप से तथा अस्पतालों की कार्मिक पद्धति को लागू करने हेतु संस्थाओं को बाध्य करने का निर्णय लिया गया.

6. केन्द्रीय परिषद् ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विहित विनियमों को निम्न रूप में संशोधित करना स्वीकार किया :

"स्वस्थवृत्त में पूर्णावधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रावधान किया जाय और अधिकार–पत्र (डिप्लोमा) के लिए प्रावधान रखा जाय तथा स्वस्थवृत्त में आयुर्वेद वाचस्पति पाठ्यक्रम हेतु प्रश्न–पत्रों के नाम सहित पाठ्यविवरण तैयार किया जाय."

7. एस. वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूपति को सत्र 1989–90 के लिए छात्रों के प्रवेश की अनुमति कुछ शर्तों को पूरा करने/कमियों को दूर करने की शर्त पर दी गई. परिदर्शकों द्वारा इंगित कमियों को पूरा करने के लिए अनुपालन प्रतिवेदन मंगवाने का निर्णय लिया गया कि सत्र 1990–91 के लिए छात्रों के प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाय जब तक कमियों को पूरा नहीं किया जाता.

8. केन्द्रीय परिषद् ने शिक्षकों एवं छात्रों के उपयोग के लिए तिरहुत विद्यापीठ, रांटी, मधुबनी द्वारा निर्मित "आयुर्वेद की अमर कहानी" नामक श्रव्य कैसेट पर किए गए प्रयासों को सराहा.

9. केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में निम्न पुस्तकों के समावेश से सहमति व्यक्त की :

1. अभिनव प्रसूति विज्ञान	——डा. अयोध्या प्रसाद अचल
2. काय चिकित्सा	——डा. शिवचरण ध्यानी
3. बृहत् द्रव्यगुणादर्श	——डा. महेन्द्र कुमार शास्त्री

10. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय कोट्टाकल को कड़ी चेतावनी दी जाय. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय त्रिपुनीथुरा को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अनुमति दे दी गई

11. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि वरिष्ठ प्रवक्ता के पद के लिए संबंधित विषय में प्रवक्ता के रूप में तीन वर्ष का शैक्षिक अनुभव अनिवार्य है. पूर्व निर्णयानुसार प्रवक्ता को सीधे नियुक्त किया जाय.

12. केन्द्रीय परिषद् ने एस. सी. मुथा आर्यगंल वैद्य महाविद्यालय, सतारा द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार किया और देखा गया कि महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित कर्मचारी पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहा है. यह निर्णय लिया गया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए नए अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. तथापि एस. सी. मुथा आर्यागंल महाविद्यालय, सतारा के वर्तमान प्रकरण में एक पूर्णकालिक अध्यापक के स्थान पर केवल दो अंशकालिक शिक्षकों की अनुमति दी जाय. उनमें से एक प्राध्यापक अथवा प्रवाचक अनिवार्य तौर पर पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए. इसका अनुसरण कठोरता से किया जाय, अन्यथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति वापिस ले ली जाय.

13. अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे को सिद्धांत एवं दर्शन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी. अनुपालन प्रतिवेदन के पश्चात् संस्था का पुनः परिदर्शन कराया जाय.

14. केन्द्रीय परिषद् ने आन्ध्र आयुर्वेद परिषद् विजयवाड़ा को वैद्य विद्वान पाठ्यक्रम की कोई भी परीक्षा संचालित करने की अनुमति देना स्वीकार नहीं किया.

15. केन्द्रीय परिषद् ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए इच्छुक महिला अभ्यर्थियों की संख्या सीमित है और सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रायः प्रवेश मिल जाता है अनुभव किया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

16. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमति के बिना तीन आयुर्वेद महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी. यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र राज्य सरकार को एक कड़ा पत्र लिखा जाय कि केन्द्रीय परिषद् की अनुमति के बिना नया आयुर्वेद महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाय.

17. केन्द्रीय परिषद् ने अनुभव किया कि शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर अर्हता को अनिवार्य बना लिया गया है, परन्तु कुछ राज्यों में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है. अतः यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्रीय परिषद् समस्त राज्य सरकारों से समस्त विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध करे.

18. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि आयुर्वेद शिक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आयुर्वेद महाविद्यालय विशेषकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं जो कि अनिवार्य है को पूरा नहीं कर रहे हैं. अतः तत्काल निरीक्षण करवाया जाय. यदि स्थिति केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों के अनुरूप नहीं है तो उसे अमान्य करने के लिए कार्रवाई की जाय.

19. केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय, ओल्लूर के अधिकारियों तथा राज्य सरकार को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक पत्र भेजा जाय. सम्बन्धित विश्वविद्यालय को भी सूचित किया जाय और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाय कि न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी कर ली जाय.

20. आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन, बम्बई के परिदर्शन प्रतिवेदन में बतलाई गई शर्तों को पूरा करने की शर्त पर काय चिकित्सा, द्रव्यगुण और आयुर्वेद सिद्धान्त एवं संहिता विषयों में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई.

21. केन्द्रीय परिषद् आयुर्वेद समिति की इस अनुशंसा से सहमत थी कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुरूकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, हरिद्वार, बुन्देलखण्ड आयुर्वेद महाविद्यालय, झांसी के प्राधिकारियों और राज्य सरकार को एक पत्र भेजा जाय.

महाविद्यालयों का परिदर्शन

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित विनियमों के अनुरूप स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शिक्षा देने के लिए न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु वर्ष के दौरान निम्न संस्थाओं/आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर
	जीवाजी विश्वविद्यालय		
1.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	25–2–89	स्नातकोत्तर
	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय		
2.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, जामनगर	17,18–4–89	" " "
	मद्रास विश्वविद्यालय		
3.	वेंकटरमण आयुर्वेद महाविद्यालय, मद्रास	19–6–89	स्नातकीय
	कलकत्ता विश्वविद्यालय		
4.	जे. बी. राय. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, कलकत्ता.	28–6–89	स्नातकोत्तर
	एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति.		
5.	एस. वी. आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरुपति.	20–8–89	स्नातकीय
	केरल विश्वविद्यालय		
6.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, त्रिपुनीथुरा	8–8–89	स्नातकीय
	कालीकट विश्वविद्यालय		
7.	वैद्यरत्नम पी. एस. वारियर आयुर्वेद महाविद्यालय, कोट्टकल	9–8–89	स्नातकीय
8.	वैद्यरत्नम् आयुर्वेद महाविद्यालय, ओल्लूर	5–9–89	" " "
	पूना विश्वविद्यालय		
9.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे.	4–9–89	स्नातकोत्तर
	रविशंकर विश्वविद्यालय		
10.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर	9–8–89	" " "
11.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा.	5–8–89	स्नातकोत्तर

	बिहार विश्वविद्यालय		
12.	नितीश्वर भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मुज़फ्फरपुर.	4–8–89	स्नातकीय
13.	आयुर्वेद महाविद्यालय, छपरा	7–8–89	" " "
14.	आयुर्वेद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, गया	8–8–89	" " "
	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा.		" " "
15.	धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय, मुज़फ्फरपुर	4–8–89	" " "
16.	महारानी रामेश्वर लता भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा.	5–8–89	" " "
17.	पी. बी. एन. भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मधुबनी	5–8–89	" " "
18.	दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, सीवान	6–8–89	" " "

यूनानी

1. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अपनाई गई परम्परा के विपरीत कभी कभी यूनानी महाविद्यालय में प्राचार्य/संकायाध्यक्ष और विभाग प्रमुख के पदों पर एलोपैथी उपाधिधारकों को रखा जाता है. यह संकल्प किया गया कि नीति के तौर पर प्राचार्य, संकायाध्यक्ष,/ विभागाध्यक्ष के पद पर केवल वही व्यक्ति रखे जाय जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित यूनानी तिब्ब की मान्यता प्राप्त अर्हता के धारक हों. ऊपर उल्लिखित पदों पर यूनानी अर्हताधारियों के अतिरिक्त अन्यों को नियुक्त नहीं किया जाय.

2. केन्द्रीय परिषद् ने आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 1989–90 से डा. अब्दुल हक यूनानी मैडीकल कालेज, कुरनूल आन्ध्र प्रदेश में प्राग्–तिब्ब पाठ्यक्रम में प्रवेश समाप्त करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत नहीं हुई. आन्ध्र प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को यह संस्तुत करने का निर्णय लिया गया कि डा. अब्दुल हक यूनानी मैडीकल कालेज कुरनूल (आ. प्र.) में प्राग्–तिब्ब और कामिल–ए–तिब्ब–ओ–जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यथास्थिति बनाए रखी जाय क्योंकि यह संस्था भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के पाठ्यविवरण, विनियम और पाठ्यविधि का अनुसरण कर रही है और हाल ही में वह एस. वी. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ था जहां प्राग्–तिब्ब पाठ्यक्रम प्रचलित था. आगे यह निर्णय लिया गया कि प्राग्–तिब्ब पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र आगे प्रवेश परीक्षा दिए बिना ही यूनानी तिब्ब के मुख्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं जैसा कि दिल्ली, अलीगढ़, पूना, राजस्थान, बिहार आदि अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित है.

3. यूनानी फार्मेसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविधि को अन्तिम रूप दिया गया. पाठ्यक्रम के विस्तृत पाठ्यविवरण के लिए यह निर्णय लिया गया कि निम्न सदस्यों की एक उप–समिति पाठ्यविवरण बनाए :

1. हकीम एम. ए. लारी
2. हकीम अब्दुल मोबिन खान
3. हकीम फैयाज़ आलम.

4. केन्द्रीय परिषद् ने 21–11–88 के गत परिदर्शन के पश्चात् राजपूताना आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी महाविद्यालय , जयपुर में हुए सुधार एवं प्रगति को दर्शाते अनुपालन प्रतिवेदन को अंकित किया और उनका विचार था कि गत परिदर्शन के पश्चात् हुए सुधार को देखने के लिए उपयुक्त महाविद्यालय का पुनः निरीक्षण किया जाय. यह भी संकल्प लिया गया कि परिदर्शन प्रतिवेदन पुनः शिक्षा समिति (यूनानी) के सम्मुख रखा जाय और इसकी अनुशंसाओं का पालन किया जाय.

5. केन्द्रीय परिषद् यूनानी समिति की अनुशंसाओं से सहमत थी कि गुजरात, जम्मू एवं काश्मीर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकारों को अपने राज्य में कम से कम एक राजकीय यूनानी महाविद्यालय आरम्भ करने के लिए पत्र लिखा जाय.

सिद्ध

1. केन्द्रीय परिषद् सिद्ध समिति की अनुशंसाओं से सहमत थी कि सारे देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के प्रसार हेतु समस्त राज्य सरकारों से सिद्ध चिकित्सा के महाविद्यालय खोलने का अनुरोध किया जाय.

निदेशक भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी, तमिलनाडु को सिद्ध (तमिल) पुस्तकों के हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया. यह अन्य राज्य सरकारों को अपने राज्य में सिद्ध महाविद्यालय खोलने/प्रारम्भ करने में सहायक होगा.

निदेशक भारतीय चिकित्सा, केरल सरकार से भी केरल राज्य में सिद्ध महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाय.

2. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन सिरप्पू मारुथवम् और कुझथंई मारुथवम् विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया था. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपर्युक्त प्रस्तावित विषयों पर कुछ टिप्पणी भेजी है. केन्द्रीय परिषद् ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टिप्पणियों पर विचार किया और केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित आयुर्वेद एवं यूनानी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की तुलना में दोनों विषयों के पाठ्यविवरण को संशोधित किया.

3. केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के लिए परिवार कल्याण में जनसांख्यिकी के प्रस्तावित पाठ्यविवरण पर कुछ संशोधन प्रस्ताव किए थे. उन पर विचार किया गया और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित पाठ्यविवरण को अनुमोदित किया गया.

4. केन्द्रीय परिषद् ने प्रशिक्षित परिचारिकाओं के लिए आवश्यक तीन माह के अल्पावधि सिद्ध पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया.

5. केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विस्तृत संशोधित योजना/पाठ्यविवरण को अनुमोदित किया.

6. केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया कि भारत सरकार की नीति के अनुसार सिद्ध चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कम से कम 30 प्रतिशत महिला छात्रों को प्रवेश दिया जाय.

7. केन्द्रीय परिषद् ने अनुभव किया कि सदस्यों की मृत्यु अथवा सेवा–निवृत्ति के कारण सिद्ध चिकित्सा पद्धति के प्रतिनिधियों की संख्या काफी कम हो गई है. यह भी अनुभव किया गया कि परिषद्

में विशेषकर सिद्ध समिति और सामान्यतः सिद्ध चिकित्सा पद्धति के संचालन हेतु धारा 3 (I) (ख) के अधीन भारत सरकार द्वारा मदुरे कामराज विश्वविद्यालय अध्ययन मंडल, डा. एम. जी. आरा तमिलनाडु चिकित्सा विश्वविद्यालय, भारथीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, केरल एवं पाण्डिचेरी राज्य से यथाशीघ्र नामजदगी की जाय.

8. केन्द्रीय परिषद् ने सिद्ध समिति द्वारा यथा निर्णित बी. एस. एम. एस. पाठ्यक्रम का संशोधित पाठ्यविवरण अनुमोदित किया.

सामान्य

1. केन्द्रीय परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथ्थुल्लाह, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मंडल में उसके पुनर्गठन से तीन वर्ष तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का प्रतिनिधित्व करेंगे.

2. केन्द्रीय परिषद् ने भविष्य में परिदर्शन प्रतिवेदन का केवल सारांश ही केन्द्रीय परिषद् की बैठकों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया.

3. केन्द्रीय परिषद् ने संकल्प लिया कि महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से आयुर्वेद एवं यूनानी के राज्य रजिस्टर को अलग–अलग करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाय.

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिषद् के परामर्श पर भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया और उन्हें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट किया. वर्ष के दौरान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उनके सम्मुख उल्लिखित निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट किया गया :

क्रम संख्या	प्रदाय निकाय का नाम	अर्हता		वर्ष
1.	गोहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	बैचलर आफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी (आयुर्वेदाचार्य)	बी. ए. एम. एस.	वर्ष 1979 से आगे
2.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर.	बैचलर ऑफ द सिस्टम आफ आयुर्वेदिक मैडीसिन	बी. एस. ए. एम.	वर्ष 1967 से आगे
		आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस.	1987 तक
		आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस.	1987 से आगे
3.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस.	1983 से आगे

4.	एस. वी. विश्वविद्यालय, तिरुपति	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस.	1988 से आगे
5.	मध्य प्रदेश आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा मंडल, भोपाल	आयुर्वेद विज्ञानाचार्य (आयुर्वेद विज्ञानाचार्य विद माडर्न मैडीसीन एण्ड सर्जरी)	ए. वी. एम. एस	1969 से 1970 तक
6.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय गुलबर्गा	बैचलर ऑफ सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन	बी. एस. ए. एम.	1973 से 1983 तक
		आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस	1983 से आगे
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मैडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी. ए. एम. एस	1986 से आगे
8.	जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर	डाक्टर ऑफ मैडीसिन (आयुर्वेद) (दोषधातु मल विज्ञान)	एम. डी. (आयुर्वेद)	1982 से 1987 तक
		डाक्टर आफ मेडीसिन (आयुर्वेद) (शरीर क्रिया विज्ञान)	एम. डी. (आयुर्वेद)	1985 से 1987 तक
9.	डाक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	बैचलर ऑफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी	बी. यू. एम. एस	1983 से आगे

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का निर्माण और रखरखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में से एक है. भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है. केन्द्रीय रजिस्टर को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है. केन्द्रीय परिषद् द्वारा यह अंकित किया गया कि कुछ राज्य मंडलों ने अभी तक पूरी सूचना नहीं भेजी है. केन्द्रीय परिषद् इन मंडलों से सम्पर्क बनाए हुए हैं.

यह निर्णय लिया गया कि जिन राज्यों के राज्य मंडलों/परिषदों से अपेक्षित राज्य रजिस्टर/सूचना प्राप्त हो चुकी है उन राज्यों का केन्द्रीय रजिस्टर बनाया जाय और भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय.

तदनुसार आसाम राज्य मंडल से पंजीकृत भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार किया गया और राजपत्र अधिसूचना के लिए भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद को भेजा गया.

परिषद् द्वारा निर्धारित विभाग, शिक्षक वर्ग, छात्र–रुग्ण अनुपात, प्रयोगशाला सुविधाएं, पुस्तकालय सुविधाएं, भवन, वनौषधि उद्यान, भैषज शाला और आतुरालय सुविधाओं आदि से सम्बन्धित नयूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए परिषद् अपने परिदर्शकों के

माध्यम से परिदर्शन द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/संस्थाओं के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखती है.

प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विचार है कि केन्द्रीय परिषद् के कार्य के लिए आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति देने का मामला परिषद् की वित्त समिति द्वारा निपटाया जाना है. केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति वित्त मामलों को निपटाने के लिए सक्षम है.

तदनुसार कार्यकारिणी समिति ने स्थाई आदेश में सम्मिलित करने हेतु निम्न प्रावधान अनुमोदित किया––

"सरकारी सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा करने की अनुमति परिषद् के अध्यक्ष द्वारा दी जाय बशर्ते कि वे उन पर लागू राज्य के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार वायुयान द्वारा यात्रा के पात्र हों और वायुयान द्वारा यात्रा की अनुमति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों."

वायुयान द्वारा यात्रा के मानदण्ड

(1) निहित दूरी 500 किलोमीटर से अधिक हो.

(2) यात्रा सीधी रेल द्वारा एक रात में पूरी न की जा सकती हो.

(3) एक रात की अवधि सायं 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक पूरा करती है.

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् में कार्यरत सहायक निबन्धक (आयुर्वेद एवं यूनानी) के वेतनमान रु. 650–1200 से वेतनमान रु. 2200–4000 जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्रांक 60011/3/87–आई. एस. एम. दिनांक 17–2–89 द्वारा दिनांक 1–1–86 से केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद् के समान अर्हताधारी एवं अनुभव रखने वाले अधिकारियों को दिनांक 1–1–86 से स्वीकृत किये हैं संशोधित वेतनमान अनुमोदित किया.

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और अनुसंधान परिषदों की भांति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को भी केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार से पुनः सम्पर्क करने का निर्णय लिया. तब तक विद्यमान पद्धति को जारी रखा जाय. तथापि निबन्धक एवं दो सहायक निबन्धकों (आयुर्वेद एवं यूनानी) को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और उन औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से परिषद् के कर्मचारियों को क्रमशः आयुर्वेद एवं यूनानी दवाएं विहित करने के लिए प्राधिकृत किया.

केन्द्रीय परिषद् ने उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् परिषद् के कार्यालय में अनुपयुक्त/बेकार वस्तुओं का निपटान करने हेतु सहमति व्यक्त की.

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1988–89 के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर विस्तार से विचार किया और इसे लेखा परीक्षित लेखाओं सहित अनुमोदित किया. यह राय थी कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लेखाओं का आकार यथाशीघ्र भेजने हेतु परिषद् के अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अर्धसरकारी पत्र द्वारा सम्पर्क किया जाय, ताकि भविष्य में लेखाओं को अनुमोदित रूप में प्रस्तुत किया जा सके. पेंशन एवं निवृत्ति–उपदान–योजना के पैरा–5 के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि

पेंशन निधि जिसके लिए भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान की मांग नहीं की जा रही है को बढ़ाने के लिए 1983 और उससे आगे नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित ब्याज को नियमित किया जाता है. वास्तव में पेंशन निधि में नियोक्ता के अंशदान की राशि लगभग वही है जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के समय परिषद् अंशदान कर रही थी.

वर्ष 1983–84 से 1988–89 तक पेंशन निधि में परिषद् द्वारा अंशदान की गई राशि नियमित की जाती है और भविष्य में भी परिषद् 10 प्रतिशत अंशदान देना जारी रखेगी जैसा कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित पेंशननिधि के संचालन हेतु निर्मित रूपात्मकताओं के लिए पहले ही अनुमोदित किया गया है. इस उद्देश्य के लिए "परिषद् द्वारा आवश्यक प्रावधान किया जाता है और "पेंशन निधि में अंशदान" के प्राथमिक एकक के अधीन भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिवर्ष स्वीकृत किया जाता है.

केन्द्रीय परिषद् ने निबन्धक और सहायक निबन्धक (आयुर्वेद एवं यूनानी) को चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता देने की स्वीकृति देने का संकल्प लिया क्योंकि वे एक अनिवार्य अर्हता के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हता धारण करते हैं और क्योंकि वे परिषद् के कर्मचारियों के प्राधिकृत चिकित्सा सहायक के रूप में चिकित्सीय कर्त्तव्य का निर्वाह भी कर रहे हैं जैसा कि समान परिषदों में इसी वर्ग के अधिकारियों के लिए मान्य है. यह निर्णय 8–12–89 से लागू होगा.

केन्द्रीय परिषद् ने 1 मार्च, 1990 से अध्यक्ष के निजी सचिव को प्रतिमाह रु. 500/– देने की स्वीकृति देने का संकल्प किया.

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों के लिए संशोधित स्थाई आदेश अनुमोदित किए.

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम 1976 में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया.

बजट के स्रोत

वर्ष 1989–90 के लिए बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्नानुसार परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए और भारत सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत किए गए :

	गैर–योजना	योजना
1989–90 का संशोधित प्राक्कलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	14.62 लाख	10.58 लाख
1989–90 का संशोधित प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा जारी किया गया)	13.00 लाख	5.66 लाख
1990–91 का बजट प्राक्कलन (केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित)	19.79 लाख	39.00 लाख
1990–91 का बजट प्राक्कलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	15.00 लाख	6.00 लाख

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है. तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाय. केन्द्रीय परिषद् के 33 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है :

अनुसूचित जाति	5
अनुसूचित जन जाति	1
विकलांग	2
भूतपूर्व सैनिक	1

रोग प्रतिरक्षण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/चिकित्सकों का सहयोजन पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी और कार्यशाला

परिषद् ने 1 और 2 जून 1989 को रोग प्रतिरक्षण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों /चिकित्साभ्यासियों का सहयोजन पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया था. विचारगोष्ठी का उद्घाटन कुमारी सरोज खापर्डे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा किया गया था. यह विचार गोष्ठी भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से आयोजित की गई थी. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों के अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों के प्राचार्यों और देश के समस्त भागों से भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्साभ्यासियों ने इस विचार गोष्ठी में भाग लिया. प्रो. हकीम सैयुयद खलीफथुल्लाह, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की. स्व. डा. रामकुमार शर्मा, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद), हकीम एम. ए. रज़्ज़ाक, उपाध्यक्ष (यूनानी), डा. ए. आनन्दकुमार, उपाध्यक्ष (सिद्ध), डा. एस. आई. नागराल, सभापति शिक्षा समिति (आयुर्वेद), हकीम मौ. तैयुयब, सभापति शिक्षा समिति (यूनानी) और वैद्य श्रीराम शर्मा सदस्य, कार्यकारिणी समिति ने मूल सिद्धान्त पर भाषण दिए. डा. ए. के. मुखर्जी, अतिरिक्त महानिदेशक (जनस्वास्थ्य) भारत सरकार और डा. जी. पी. तलवार ने रोग प्रतिरक्षण और भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/चिकित्साभ्यासियों को सम्मिलित करने के विभिन्न दृष्टिकोणों पर अपना वक्तव्य दिया.

भाग लेने वालों को विमर्श हेतु निम्न वर्गों में विभाजित किया गया :

वर्ग (I) रोग प्रतिरक्षण तक पहुंच भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/चिकित्साभ्यासियों की भूमिका.

वर्ग (II) वैक्सीन/सिरिंज आदि के वितरण की पद्धति.

वर्ग (III) निगरानी पुनर्निर्देशन और आंकड़े एकत्र करना.

वर्ग ने उनको दिये गए विषयों पर विमर्श किया और अपनी अनुशंसाएं दी जिन पर प्रतिनिधि सत्र में विमर्श किया गया. विचार गोष्ठी की अन्तिम अनुशंसाओं को उनके सार्थक क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है. विचारगोष्ठी की अनुशंसाओं सहित प्रतिवेदन निम्नानुसार है :

हमारा देश इस रूप में एक अपवाद है कि यहां उच्च रूप से विकसित अनेक भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं जो वर्तमान में अपने मान्य चिकित्साभ्यासियों, चिकित्सा महाविद्यालयों, आतुरालयों एवं शोध संस्थानों के साथ कार्यरत हैं. इनमें आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी पद्धतियां सम्मिलित हैं.

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद. द्वारा 1 और 2 जून, 1990 को होटल ताज पैलेस इन्टर कान्टीनेन्टल, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनीसेफ की वित्तीय सहायता से रोग प्रतिरक्षण और भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों/चिकित्साभ्यासियों के सहयोजन पर एक द्वि दिवसीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई.

भारतीय चिकित्सा पद्धति समुदाय के विभिन्न पक्षों जिसमें भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति कालेजों के प्रिंसिपल और देश भर के चिकित्सक शामिल थे को आमंत्रित किया गया. इस सेमिनार में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसमें की गई चर्चाएं विस्तृत, आलोचनात्मक और लाभदायक थीं. सत्रों के अंत में प्रस्तावना के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए

भाग लेने वाले सदस्यों का एक मत था कि गर्भवती माताओं और नवजात शिशु परिचर्या के सम्बन्ध में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विशेष निवारक विधान (रेजीमैन) पर आयुर्वेद और सिद्ध (सी सी आर ए एस) तथा यूनानी (सी सी आर यू एस) अनुसंधान परिषदों के सहयोग से सक्रिय क्लिनिकल अनुसंधान किया जाना चाहिए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन दे और परिषदों द्वारा ऐसे अनुसंधान के जरिए तैयार की गई औषधों को राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक भाग बनाया जाना चाहिए.

आमतौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और विशेष तौर पर भारत सरकार के व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सेमिनार चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को भी चरणबद्ध रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के रूप में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शामिल किया जाना चाहिए. इसे कार्यान्वित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को भारतीय चिकित्सा पद्धति कालेजों, अस्पतालों और औषधालयों को सीधे रूप में शामिल करने में पहल करने हेतु कार्यवाही योजना तैयार करने के लिए शक्ति प्रदान की गई जिसमें प्राइवेट चिकित्सा व्यावसायियों को एलोपैथिक पद्धति के प्राईवेट चिकित्सा व्यावसायियों के बराबर करना और उन्हें रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के उपयुक्त और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक क्रैश कार्यक्रम के अधीन आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है.

सेमिनार ने यह महसूस किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यावसायियों को प्रशासन के प्रयासों से यह महसूस कराने के लिए कि वे देश की समस्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने संबंधी पद्धति में बराबर के भागीदार हैं, उनमें एक समान भागीदारी की भावना पैदा करने में काफी मदद मिलेगी और इससे ऐसे सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में मदद मिलेगी.

बैठक का विचार था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति कालेजों के स्नातकपूर्व प्रशिक्षण की पाठ्यचर्याओं में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के संघटकों सहित रोग प्रतिरक्षण की महत्वपूर्ण बातें निहित हैं, इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक स्नातक के पास रोग प्रतिरक्षण क्रियाविधि और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में कम से कम सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण है.

इन पाठ्यचर्याओं को आदर्श बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अनिवार्य संघटकों के साथ रोग प्रतिरक्षण के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए कदम उठा सकती है ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक स्नातक के पास सभी रोग प्रतिरक्षण क्रियाविधि और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में पर्याप्त सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण हो.

भारतीय चिकित्सा पद्धति के कालेजों और व्यावसायियों को शामिल करके लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु [illegible] से निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए.

1. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक कालेज को कम से कम तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ जो इसके नजदीक हैं सम्बद्ध किया जाना चाहिए. इन्टर्नों और छात्रों को रोग प्रतिरक्षण, परिवार कल्याण और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण

के लिए तैनात किया जाना चाहिए.

2. यह संकल्प पारित किया गया कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी भारतीय चिकित्सा पद्धति कालेजों और भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यावसायियों को परिवार कल्याण और व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करें. उन्हें कानूनी रूप से भी मान्यता दी जानी चाहिए और उन्हें देश के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

3. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक कालेज में तत्काल स्थापित एक रोग प्रतिरक्षण केन्द्र में सभी आवश्यक उपकरण और स्टाफ होना चाहिए.

4. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में कार्यरत सभी स्वैच्छिक संगठनों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में स्वयं शामिल होने का बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उन्हें रेफ्रीजरेटर और कोल्डचेन जैसे सभी आवश्यक उपकरण प्रदान करने चाहिए और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने केंद्र के माध्यम से गर्भवती माताओं और बच्चों को निशुल्क टीके लगाने चाहिए.

5. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यावसायियों को अपने–अपने क्लिनिकों में रोग प्रतिरक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए और प्राधिकारियों को चाहिए कि वे उन्हें अनिवार्य उपकरण और मुफ्त वैक्सीनें प्रदान करें.

6. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के सेवारत उम्मीदवारों और प्रैक्टिस कर रहे फिजीशियनों को रोग प्रतिरक्षण में एक अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाए.

7. यह संकल्प पारित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति की शैक्षिक संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, प्रसुति और स्त्री रोग विज्ञान/सामाजिक और निवारक चिकित्सा विभाग में उपकरणों, विशेषज्ञों और अर्ध चिकित्सा स्टाफ के बारे में उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए इस प्रयोजन के लिए प्रोफार्मा तैयार किया जाय.

8. यह संकल्प पारित किया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत अर्हक और गैर–संस्थागत पंजीकृत व्यावसायियों के बारे में भारतीय चिकित्सा पद्धति व्यावसायियों की उपलब्ध कार्मिक शक्ति के सम्बन्ध में एक व्यापक और सार्थक अद्यतन सर्वेक्षण किया जाय. आगे यह संकल्प पारित किया गया कि इन व्यावसायियों की कुल संख्या मालूम की जाए जो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक हैं.

9. यह संकल्प पारित किया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी सरकारी औषधालयों और अस्पतालों का उपलब्ध आधारभूत ढांचे सहित निर्धारण किया जाए, ताकि राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा सके. यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति निदेशालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति सम्बन्धी निगरानी और आंकड़ों के संकलन के लिए एक पृथक तंत्र होना चाहिए और इन कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से प्रत्येक निदेशालय में एक सांख्यिकीय आंकड़े का संकलन यूनिट स्थापित किया जाना चाहिए.

यह भी निश्चय किया गया कि प्रभावकारी निगरानी और आंकड़ों के संकलन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उच्चतर स्तर का एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए.

भारतीय चिकित्सा पद्धति के सामान्य चिकित्सकों सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के निदेशकों, भारतीय चिकित्सा पद्धति के जिला अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों और राज्य औषधालयों

की सेवाओं का उपयोग निगरानी और आंकड़ों के संकलन के कार्य में आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करके किया जा सकता है.

यह सिफारिश करने का संकल्प किया गया कि इस कार्यक्रम के आयोजन, कार्यान्वयन और मौनिटरिंग के लिए क्रमशः एक केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरीय समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों, बनाई जाए :—

केंद्रीय समिति

(i) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
(2) निदेशक, परिवार कल्याण
(3) सलाहकार, (आयुर्वेद और सिद्ध)
(4) सलाहकार (यूनानी)
(5) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के प्रतिनिधि
(6) अखिल भारतीय यूनानी तिब्बी सम्मेलन के प्रतिनिधि
(7) राष्ट्रीय संगठित चिकित्सा के प्रतिनिधि
(8) निदेशक, सी सी आर ए एस
(9) निदेशक, सी सी आर यू एस
(10) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष
(11) आयुर्वेद, सिद्ध और अनुसंधान पद्धतियों में से प्रत्येक से नामित एक–एक विशेषज्ञ सदस्य.

राज्य स्तरीय समिति

(i) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
(2) आयुक्त, परिवार कल्याण/एच सी एच
(3) निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति,.
(4) भारतीय चिकित्सा पद्धति, चिकित्सक संघ (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) में से एक–एक प्रतिनिधि.
(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य परिषदों के प्रतिनिधि

जिला स्तरीय समिति

(i) जिला कलक्टर
(2) जिला भारतीय चिकित्सा पद्धति अधिकारी
(3) जिला स्वास्थ्य अधिकारी
(4) आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध संघ के जिला प्रतिनिधि.
(5) संबंधित जिले में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी कालेजों के प्रधानाचार्य.

उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु संगोष्ठी में यह महत्व दिया गया कि भारत सरकार के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ से भी पर्याप्त निधि प्रदान करने के लिए सम्पर्क किया जाना चाहिए.

गोपनीय

निदेशक लेखा परीक्षा-I कार्यालय
केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली

क्रमांक=ओ.ए.डी.IV/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./89-90/ दिनांक 26-11-90

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- वर्ष 1989-90 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं संसद पटल पर रखे जाने हेतु वर्ष 1989-90 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के प्रमाणित वार्षिक लेखाओं की प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित संलग्न कर रहा हूं।

संसद में यथा प्रस्तुत कागज़ातों की दो प्रतियां जिस तिथि को उन्हें प्रस्तुत किया गया उस तिथि का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय तथा भारत सरकार के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय को भी कृपया भेजें।

कृपया प्राप्ति की सूचना देवें।

भवदीय,
हस्ता.
उपनिदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षक II)

संलग्न-यथा उपर्युक्त।

क्रमांक=ओ.ए.डी.IV/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./89-90/386

प्रतिलिपि प्रमाणित वार्षिक लेखाओं और उनपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु उनके पत्रांक 10-10/90-लेखा दिनांक 10-10-90 के संदर्भ में प्रेषित है। उस तिथि जिस पर शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखाओं पर विचार किया जाता है की सूचना कृपया इस कार्यालय को समर्थन करने वाले कागज़ातों सहित दी जाय। प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के हिन्दी अनुवाद की पांच प्रतियां इस कार्यालय को यथाशीघ्र भेजी जावें।

हस्ता.
उपनिदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षण-II)

क्रमांक=ओ.ए.डी.IV/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./89-90/

प्रतिलिपि प्रमाणित वार्षिक लेखाओं, उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र की प्रति सहित मुख्यालय के पत्रांक 88-रिपोर्ट (स्वा.नि.) 84-90 दिनाक 4-10-90 के संदर्भ में श्री सरूप सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (आरईपी-एबी) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

मुख्यालय के अभिमत/टिप्पणियों के उत्तर को सन्निहित करते हुए एक विवरण संलग्न है। इसे निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व- I के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता.
उपनिदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षण-II)

संलग्न-यथा उपर्युक्त।

वर्ष 1989-90 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

परिचय

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (परिषद्) की स्थापना की गई थी। परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षा (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन की जाती है। परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1989-90 के दौरान राशि रु. 18.66 लाख (गैर-योजना के अधीन 13 लाख रु. और योजना के अधीन 5.66 लाख रु.) की अनुदान राशि प्राप्त हुई।

परिषद् के अभिमत

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का गठन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन 1971 में निम्न प्रयोजनों हेतु किया गया था:-
   (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
   (ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
   (iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
   (iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

   उपर्युक्त से देखा जायगा कि केन्द्रीय परिषद् ने क्रमसंख्या (i) (ii) और (iv) पर उल्लिखित प्रयोजनों को पहले ही पूरा कर लिया है। भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका के रख-रखाव का कार्य प्रगति पर है और आशा है कि पंजिका का कार्य वर्ष 1990-91 के दौरान पूरा हो जायगा।

   केन्द्रीय परिषद् के वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान द्वारा होती है। केन्द्रीय परिषद् को वर्ष 1989-90 के दौरान रु. 18.66 लाख (गैर-योजना के अधीन रु. 13 लाख और योजना के अधीन 5.66 लाख) प्राप्त किए।

2. वार्षिक लेखा

(क) आय और व्यय लेखा--

(i) वर्ष 1989-90 के लिए आय और व्यय लेखा के व्यय की और "सामान्य भविष्य निधि (योजना) का ब्याज़" शीर्ष के अधीन 40,657/- रुपए दिखाए गए हैं। यह व्यय "योजना और गैर-योजना" से अनुपातिक रूप में किया जाना चाहिए था। परिषद् ने जुलाई और अक्टूबर 1990 में बतलाया कि योजना और गैर-योजना के ब्याज़ का विभाजन नहीं किया गया था। क्योंकि गैर - योजना के अधीन निधि उपलब्ध नहीं थी और इस विषय को कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

परिषद् योजना और गैर-योजना के अधीन ब्याज को विभाजित नहीं कर सकी क्योंकि गैर-योजना के अधीन फण्ड उपलब्ध नहीं थे। अतः वर्ष 1989-90 के लिए सामान्य भविष्य निधि पर कुल ब्याज़ योजना से लिया गया। कार्यकारिणी समिति द्वारा 6-12-90 को सम्पन्न अपनी 67वीं बैठक में इसे अनुमोदित और नियमित किया गया।

(ख) तुलन-पत्र

(i) वर्ष 1989-90 के अन्त में रुपये 5483/- का बकाया देय किराया तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया गया है।

ख (i) यह स्वीकार किया जाता है कि किराए की राशि रु. 5483/- को वर्ष 1989-90 के दौरान तुलन-पत्र में दायित्व की ओर दर्शाया जाना था। रु. 1,143/- मकान मालिक को दे दिए हैं और रु. 4,700/- वर्ष 1990-91 के दौरान कचहरी के आदेश पर कचहरी में दे दिए जायेंगे।

(ii) 1989-90 के दौरान "कार्यालय उपकरण" के अन्तर्गत योजना के अधीन रु. 1,46,127.60 मूल्य की परिसम्पत्ति अतिरिक्त तौर पर दिखाई गई है जिसमें रु. 1,47,000/-मूल्य के एक कम्प्यूटर जो कि मई, 1990 में प्राप्त हुआ था की खरीद के लिए रु. 1,35,000/- की अग्रिम अदायगी भी सम्मिलित है। रु. 1,35,000/- की राशि को "ऋण एवं अग्रिम" के अधीन दर्शाया जाना चाहिए था।

(ii) वर्ष 1990-91 के दौरान आवश्यक संशोधन कर दिया जायगा।

(iii) वर्ष 1989-90 के दौरान क्रय की गई पुस्तकालय की रु. 769/- मूल्य की पुस्तकों को परिषद् के तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया गया। परिषद् ने बताया कि अक्टूबर, 1990 में किस बिल के अवलोकनार्थ विक्रेता से ली

(iii) अधिग्रहण रजिस्टर में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

गई पुस्तकों का गलती से रजिस्टर में अन्दराज़ कर दिया गया है और अधिग्रहण रजिस्टर में आवश्यक संशोधन कर लिया गया है।

(iv) परिषद् के वर्ष 1988–89 के दौरान प्रतिरक्षण पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी एवं कार्यशाला के आयोजन के लिए गैर–योजना में 2,17000/– सहायक अनुदान के मिले थे। विचार गोष्ठी 1 और 2 जून, 1989 को आयोजित की गई और उस पर रु. 1,71,881/– व्यय हुए, जिससे अनुदान में से रु. 45,119/– शेष बच गए। परिषद् ने 1988–89 के लिए लेखा का अवलोकन करते समय लेखा परीक्षा को बतलाया कि अव्यय शेष मंत्रालय को वापिस भेजा जा रहा है और वर्ष 1989–90 के लेखा में दिखाया जायगा।

वर्ष 1989–90 के लेखा की जांच से ज्ञात हुआ कि लेखा परीक्षा की तिथि (जुलाई 1990) तक अव्यय शेष रु. 45,119/– मंत्रालय को वापिस नहीं भेजे गए। राशि को तुलन–पत्र में भी नहीं दर्शाया गया था। परिषद् ने अक्टूबर, 1989 को बतलाया कि सितम्बर, 1990 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अव्यय शेष वापिस कर दिया गया है और 1990–91 के लेखा में आवश्यक संशोधन दर्शाया जायगा।

3. **केन्द्रीय पंजिका का नहीं रखा जाना**

केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजनों में से एक केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण था जिसमें उन समस्त व्यक्तियों के नाम होने चाहिए जो भारतीय चिकित्सा की किसी भी राज्य पंजिका में अस्थायी रूप से नामांकित थे और जो कोई मान्य चिकित्सीय अर्हता धारण करते थे। ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) के अर्थ में लोक दस्तावेज समझा जाना था और भारत के

(iv) रु. 45,119/– की शेष राशि जिसे वर्ष 1989–90 के तुलन–पत्र में नहीं दर्शाया गया है, को वर्ष 1990–91 में तुलन–पत्र में दर्शाया जायगा।

3. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को वर्ष 1990–91 के दौरान पूरा कर लिया जायगा।

राजपत्र में प्रकाशित एक प्रति द्वारा प्रमाणित किया जाना था। केन्द्रीय परिषद् ने बतलाया (अक्टूबर 1990) कि आसाम राज्य से सम्बन्धित केन्द्रीय पंजिका जुलाई 1990 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित हो चुकी है और आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमीबंगाल की पंजिका तैयार हो गई थी और भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद भेजा जा चुका है। बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और राजस्थान के केन्द्रीय रजिस्टर वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायंगे। केरल और उत्तर–प्रदेश राज्य ने अभी तक (अक्टूबर 1990) केन्द्रीय पंजिका पर राज्य पंजिका/पूरी सूचना नहीं भेजी है।

4. **पैंशन एवं उपदान योजना--**

परिवार पैंशन योजना युक्त पैंशन एवं निवृति उपदान योजना केन्द्रीय परिषद् में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पैंशन निधि के संवर्धन के लिए केन्द्र द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान निर्गमित नहीं किया जाना था। पैंशन निधि परिषद् के पास पहले ही उपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों के निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों द्वारा निर्मित किया जाना था। केन्द्रीय परिषद् ने तथापि 1989–90 के दौरान 0.50 लाख रुपये सहित वर्ष 1983–84 से 1989–90 तक के दौरान नियोक्ता के अंशदान के रूप में 2.05 लाख रुपए स्थानान्तरित किए। मंत्रालय ने बतलाया (जनवरी 1990) कि निधि के संवर्धन के लिए परिषद् के पास राजस्व का कोई आन्तरिक साधन नहीं है और स्वीकृत बजट प्रावधान में से वर्ष प्रतिवर्ष निधि को स्थानान्तरित करती रही है। निधि के

4. वर्ष 1983–84 से 1989–90 और आगे फण्ड के स्थानान्तरण को नियमित करने हेतु स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई विशेष स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वर्ष 1983–84 से और 1988–89 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी माना गया था। परिषद् ने अक्टूबर 1990 में बतलाया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1983–84 से 1989–90 तक की अवधि के दौरान निधि के स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

5. **रु. 1,47,000/- के मूल्य के कम्प्यूटर की अनियमित खरीद।**

परिषद् ने रुपये 1,47,000/– मूल्य का पी.सी.ए.टी.–386 कम्पयूटर खरीदने के लिए फर्म को (मार्च, 1990) 1,35,000/– रुपए की अग्रिम अदायगी की। परिषद् ने न तो वर्ष 1989–90 के लिए बजट प्राक्कलन/संशोधन प्राक्कलन में इसका प्रावधान रखा और न ही कम्पयूटर क्रय करने के लिए मंत्रालय से विशेष स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया है।

परिषद् ने मई, 1990 में कम्पयूटर लिया। परन्तु आज लेखा परीक्षा की तिथि (जुलाई 1990) तक कम्पयूटर आरम्भ नहीं हुआ है। परिषद् ने अक्टूबर 1990 में बतलाया कि कम्पयूटर प्रारम्भ हो गया है और खर्च को नियमित करने के लिए कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायगा।

हस्ता.

स्थान–नई दिल्ली — मुख्य निदेशक लेखापरीक्षा–I
तिथि– — केन्द्रीय राजस्व

5. कार्यकारिणी समिति से 6–12–90 को सम्प
उनकी 67वीं बैठक में खर्च को नियमित क
हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली के 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और तुलन–पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणाम स्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन–पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता.

स्थान–नई दिल्ली — मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा–I
तिथि — केन्द्रीय राजस्व

भारतीय चिकित्सा

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष

प्राप्तियां	गैर–योजना राशि	गैर–योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1. 1.4.89 को आद्य शेष				
बैंक में नकद	60,316.99		20,980.46	
हस्तगत रोकड़	2,774.85		–	
हस्तगत डाक टिकटें	40.60		–	
फ्रेंकिंग मशीन में डाक टिकट	2,294.72		–	
सेमीनार के लिए अनुदान	2,17,000.00	2,82,427.16	–	20,980.46
2. वर्ष 1989–90 के दौरान				
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान		13,00,000.00		5,66,000.00
3. सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
फुटकर प्राप्तियां–श्री सूबेसिंह	829.70			
रद्दी बेचने पर प्राप्त राशि	396.00			
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	27,184.30	28,410.00		–
4. अग्रिमों की वसूली				
पर्व अग्रिम	7,200.00		3,480.00	
स्कूटर अग्रिम	11,500.00		4,200.00	
कार अग्रिम	–		15,000.00	
गृह निर्माण अग्रिम	–	18,700.00	15,600.00	38,280.00
5. विविध प्रेषण				
सामूहिक बीमा योजना	6,660.00		2,505.00	
आयकर	10,728.00		1,064.00	
सामान्य भविष्य निधि	1,53,845.00	1,71,233.00	26,433.00	30,002.00
अग्रेनीत शेष		18,00,770.16		6,55,262.46

केन्द्रीय परिषद्

के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अदायगी	गैर–योजना राशि	गैर–योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	47,125.00		–	
कर्मचारियों का वेतन	3,82,150.00		1,30,770.00	
महंगाई भत्ता	1,40,453.00		43,508.00	
गृह भाटक भत्ता	1,11,337.00		33,973.00	
नगर प्रतिकर भत्ता	22,636.00		7,266.00	
धुलाई भत्ता	1,080.00		30.00	
अतिकालिक भत्ता	213.90		37.95	
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	924.00		–	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,946.80		28,221.35	
अवकाश यात्रा रियायत	2,034.00		5,075.00	
बोनस	23,004.00		7,772.00	
अवकाश का भुगतान	4,071.00		–	
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	3,000.00	7,41,974.70	–	2,56,653.30
2. आकस्मिक व्यय				
(क) अवर्ती व्यय				
लेखनसामग्री	4,378.66		15,415.80	
दूरभाष	56,094.00		2,095.00	
डाक एवं तार	13,889.15		–	
भवन का किराया	60,317.00		–	
विद्युत प्रभार	5,647.86		–	
समाचार–पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	3,319.80		–	
वाहन व्यय	4,801.80		–	
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	8,326.63		–	
मुद्रिकाएं सहित विविध प्रभार	50,238.25		7,382.89	
लेखा परीक्षा शुल्क	11,950.00		–	
विधि सम्बन्धी व्यय	–		13,150.00	
विज्ञापन	–		1,159.00	
मुद्रण व्यय	–	2,18,963.15	44,827.00	84,029.69
अतीत शेष		9,60,937.85		3,40,682.99

पीछे से लाया गया शेष	18,00,770,16	6,55,262.46
कुल	18,00,770.16	6,55,262.46

पीछे से लाया गया शेष		9,60,937.85		3,40,682.99
(ख) अनावर्ती व्यय				
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	2,152.00		–	
वातानुकूलित उपकरण	–		5,172.80	
कार्यालय उपकरण	–	2,152.00	1,46,127.60	1,51,300.40
3. यात्रा भत्ता				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	34,222.00		–	
सचिव/कर्मचारी	18,769.80		–	
परिषद् के सदस्य	1,45,218.00		–	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	23,379.50		–	
शिक्षा समिति (आयु.) के सदस्य	28,259.00		–	
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	25,493.50		–	
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्य	755.50		–	
पंजीयन समिति के सदस्य	25,255.50		–	
विनियम समिति के सदस्य	31,735.50		–	
उप समिति के सदस्य	8,114.00		–	
परिदर्शन समिति के सदस्य	–	3,41,202.30	42,143.00	42,143.00
4. अग्रिम की अदायगी				
पर्व अग्रिम	8000.00		4,000.00	
स्कूटर अग्रिम	10,000.00	18,000.00	10,000.00	14,000.00
5. विविध प्रेषण				
सामूहिक बीमा योजना	6,660.00		2,505.00	
आयकर	10,728.00		1,064.00	
सामान्य भविष्य निधि	1,53,845.00	1,71,233.00	26,433.00	30,002.00
6. पेंशन निधि में अंशदान		38,912.70		11,282.00
7. सामान्य भविष्य निधि में ब्याज		–		40,657.00
8. निवेशन में व्यय		1,71,881.00		–
9. 31.3.90 को अन्तिम शेष				
बैंक में रोकड़	95,021.79		25,195.07	
हस्तगत रोकड़	77.00		–	
हस्तगत डाक टिकटें	78.10		–	
फ्रैंकिंग मशीन में डाक टिकटें	1,274.42	96,451.31	–	25,195.07
कुल		18,00,770.16		6,55,262.46

ह0/–
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

व्यय	गैर–योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	47,125.00		–	
कर्मचारियों का वेतन	3,82,150.00		1,30,770.00	
महंगाई भत्ता	1,40,453.00		43,508.00	
गृह भाटक भत्ता	1,11,337.00		33,973.00	
नगर प्रतिकर भत्ता	22,636.00		7,266.00	
धुलाई भत्ता	1,080.00		30.00	
अतिकालिक भत्ता	213.90		37.95	
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	924.00		–	
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,946.80		28,221.35	
अवकाश यात्रा रियायत	2,034.00		5,075.00	
बोनस	23,004.00		7,772.00	
अवकाश का भुनाना	4,071.00		–	
अध्यक्ष के निजी सचिव का पारिश्रमिक	3,000.00	7,41,974.70	–	2,56,653.30
2. आकस्मिक व्यय				
लेखन सामग्री	4,378.66		15,415.80	
दूरभाष	56,094.00		2,095.00	
डाक एवं तार	13,889.15		–	
भवन किराया	60,317.00		–	
विद्युत प्रभार	5,647.86		–	
समाचार–पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	3,319.80		–	
वाहन प्रभार	4,801.80		–	
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	8,326.63		–	
यूनीफार्म सहित विविध व्यय	50,238.25		7,382.89	
लेखा परीक्षा शुल्क	11,950.00		–	
मुद्रण व्यय	–		44,827.00	
विज्ञापन	–		1,158.51	
विधि सम्बन्धी व्यय	–	2,18,963.15	13,150.00	84,029.20
अग्रेनीत शेष		9,60,937.85		3,40,682.50

आय	गैर–योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1989–90 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायक अनुदान	13,00,000.00		5,66,000.00	
घटाएं–पुंजीगत अनुदान	2,152.00	12,97,848.00	1,51,300.40	4,14,699.60
विविध प्राप्तियां				
रद्दी की बिक्री से	396.00		–	
श्री सुबेसिंह से	829.70		–	
सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	27,184.30	28,410.00	–	
आय से व्यय की अधिकता		14,794.85		20,604.90
		13,41,052.85		4,34,764.50

पीछे से लाया गया शेष		9,60,937.85		3,4C,682.8
3. यात्रा भत्ता				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	34,222.00			
सचिव/कर्मचारी	18,769.80			
परिषद् के सदस्य	1,45,218.00			
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	23,379.50			
शिक्षा समिति (आयु.) के सदस्य	28,259.00			
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	25,493.50			
शिक्षा समिति (सिद्ध) के सदस्य	755.50			
पंजीयन समिति के सदस्य	25,255.50			
विनियम समिति के सदस्य	31,735.50			
उप–समिति के सदस्य	8,114.00			
परिदर्शन समिति के सदस्य	–	3,41,202.30	42,143.00	42,143.(
4. पेंशन निधि में अंशदान		38,912.70		11,282.(
5. सामान्य भविष्य निधि में ब्याज		–		40,657.(
कुल		13,41,052.85		4,34,764.5

पीछे से लाया गया शेष	13,41,052.85	4,34,764.50
कुल	13,41,052.85	4,34,764.50

ह./–
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली ।

31 मार्च, 1990 को यथा तुलन-पत्र

दायित्व	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त परिसम्पतियां		20,080.15		
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसम्पतियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,41,030.31		3,64,382.74	
जोड़े-वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान	2,152.00	2,43,182.31	1,51,300.40	5,15,683.14
उप-कुल		2,63,262.46		5,15,683.14
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	82,405.97		1,82,858.97	
घटाएं-वर्ष के दौरान आय से व्यय की अधिकता	14,794.85		20,064.90	
	67,611.12		1,62,794.07	
जोड़े-उचन्त का समायोजन	781.19	68,392.31	1,221.00	1,64,015.07
उचन्त खाता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	781.19		1,221.00	
घटाएं-समायोजित	781.19	शून्य	1,221.00	शून्य
डी. ए. वी. पी.				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		–	0.49	
घटाएं-विगोचित		–	0.49	शून्य
सेमीनार				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,17,000.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान	1,71,881.00	45,119.00		–
विगोचन		4,82,959.00		–
सामान्य भविष्य निधि		3,48,145.78		–
पैंशन निधि				
कुल		12,07,878.55		6,79,698.21

परिसम्पति	गैर-योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
अनावर्तक प्रकृति				
(i) फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		76,564.68		25,205.18
(ii) पुस्तकालय की पुस्तकें				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	23,472.01			–
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,152.00	25,624.01		
मशीनीकृत उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	38,537.53		21,617.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	–	38,537.53	5,172.80	26,789.80
कार्यालय उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,22,536.24		3,17,560.56	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	–	1,22,536.24	1,46,127.60	4,63,688.16
उप कुल		2,63,262.46		5,15,683.14
अवर्ती प्रकृति				
ऋण एवं अग्रिम				
(i) पर्व अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,760.00		1,000.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	8,000.00		4,000.00	
	12,760.00		5,000.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	7,200.00	5,560.00	3,480.00	1,520.00
(ii) स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	13,000.00		9,000.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	10,000.00		10,000.00	
	23,000.00		19,000.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	11,500.00	11,500.00	4,200.00	14,800.00
(iii) मोटरकार अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	–		45,000.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	–		15,000.00	30,000.00
(i) गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	–		1,08,100.00	
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	–		15,600.00	92,500.00
31.3.90 को अन्तिम शेष				
हस्तस्थ टिकट	77.00	–	–	
बैंक में शेष	95,021.79		25,195.07	
हस्तस्थ डाक टिकटें	78.10		–	
क्षेत्रीय समिति में डाक टिकटें	1,274.42	96,451.31	–	25,195.07
सामान्य संचित निधि		4,82,959.00		–
पैंशन निधि		3,48,145.78		–
कुल		12,07,878.55		6,79,698.21

हस्ता/-
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां

		राशि	राशि
बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में			
2.4.89 को आद्य शेष			19,165.87
अतिरिक्त अंशदान			
गैर–योजना	63,581.00		
योजना	12,250.00	75,831.00	
कर्मचारियों द्वारा अंशदान			
गैर–योजना	31,774.00		
योजना	9,423.00	41,197.00	1,17,028.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली			
गैर–योजना		83,475.00	
योजना		11,980.00	95,455.00
बचत खाता, मासिक आय–पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज़			27,184.30
ब्याज़ 1989–90 के लिए परिषद् से प्राप्त राशि			40,657.00
कुल			2,99,490.17

भुगतान

	राशि	राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण		
गैर–योजना	1,00,000.00	
योजना	12,700.00	1,12,700.00
कर्मचारियों को अन्तिम निकासी		39,806.00
मासिक आय प्रमाण–पत्र में विनियोजन		1,00,000,00
चालू निधि में स्थानान्तरित		50.87
कोष में स्थानान्तरित		27,184.30
बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में 31.3.1990 को अन्तिम शेष		19,749.00
कुल		2,99,490.17

ह0/–
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि
31 मार्च 1990 का तुलन-पत्र

1988–89	दायित्व	राशि	राशि
	कर्मचारियों का अंशदान		
2,60,707.87	गत तुलन–पत्र के अनुसार	3,65,130.87	
95,501.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,17,028.00	
3,56,208.87		4,82,158.87	
20,000.00	घटाएं–वर्ष के दौरान की गई अन्तिम अदायगी	39,806.00	
3,36,208.87		4,42,352.87	
28,922.00	जोड़े–वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज़	40,657.00	
3,65,130.87		4,83,009.87	
	घटाएं–पैंशन निधि में स्थानान्तरित राशि	50.87	4,82,959
3,65,130.87	कुल		4,82,959

1988-89	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
19,165.87	बैंक ऑफ इण्डिया के बचतखाते में		19,749.00
19,165.87			
	विनियोजन		
	(क) मासिक आय प्रमाण–पत्र		
50,000.00	गत तुलन–पत्र के अनुसार	50,000.00	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,00,000.00	1,50,000.00
50,000.00			
	(ख) विशिष्ट जमा योजना		
1,70,500.00	गत तुलन–पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र		
75,000.00	गत तुलन–पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	(घ) कर्मचारियों को ऋण		
[illegible]	गत तुलन–पत्र के अनुसार	50,465.00	
18,200.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,12,700.00	
1,00,465.00		1,63,165.00	
50,000.00	घटाएं–वर्ष के दौरान की गई वसूली	95,455.00	
50,465.00			67,710.00
3,65,130.87	कुल		4,82,959.00

— ह0/–
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

पैंशन एवं ग्रेच्युटी निधि

31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां

	राशि	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 2.4.89 को आद्य शेष		1,307
गैर–योजना के अन्तर्गत अंशदान	38,083.00	
योजना के अन्तर्गत अंशदान	11,282.00	
श्री सूबे सिंह से अंशदान	829.70	
सामान्य भविष्य निधि से स्थानान्तरित	50.87	50,245
बचत खाते में बैंक से और मासिक आय प्रमाण–पत्र से अर्जित ब्याज		17,592
मासिक आय प्रमाण–पत्र		1,24,000
कुल		1,93,145

भुगतान

	राशि	राशि
मासिक आय प्रमाण–पत्र में विनियोजन		1,79,000.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31.3.90 को इतिशेष		14,145.78
कुल		1,93,145.78

ह0/–
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

पैंशन एवं ग्रेच्युटी निधि

31 मार्च, 1990 को यथा तुलन- पत्र

1988-89	दायित्व	राशि	राशि
3,48,665.97	गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,80,307.51	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
50,653.00	अंशदान	50,245.57	
16,988.54	ब्याज़	17,592.70	
4,16,307.51		3,48,145.78	
1,36,000.00	घटाएं-परिषद् को स्थानान्तरित	–	
2,80,307.51			3,48,145.78
2,80,307.51	कुल		3,48,145.78

1988-89	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
	बैंक आफ इण्डिया के		
1,307.51	बचत खाते में		14,145.78
1,307.51			
	विनियोजन		
	(क) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र		
1,20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार		1,20,000.00
1,20,000.00			
	(ख) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
2,24,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,59,000.00	
1,00,000.00	घटाएं-विमोचित	35,000.00	
1,24,000.00		1,24,000.00	
35,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	90,000.00	2,14,000.00
2,80,307.51	कुल		3,48,145.78

ह०/-
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली ।

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

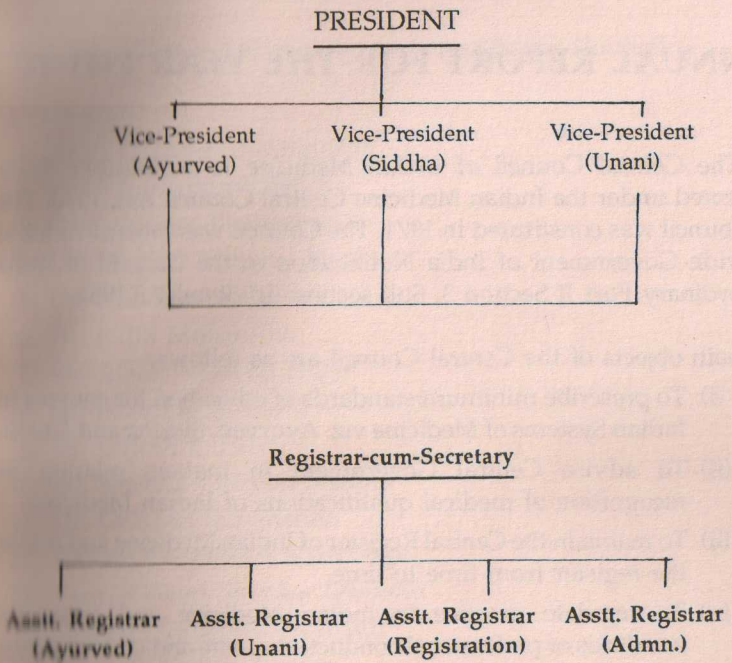

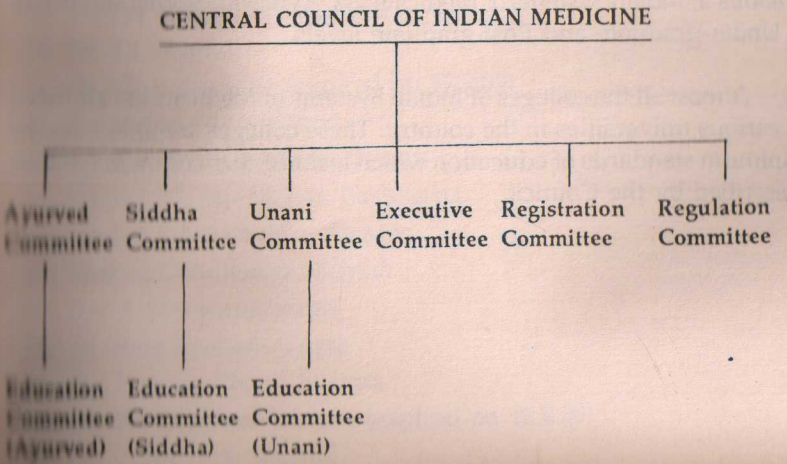

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1989-90

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:—

(i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani

(ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.

(iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.

(iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum & syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council:

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satakopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N. Dave
9. Dr. Dinesh R. Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kaviraj Bhupendra Nath Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishna S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. G.M. Bhawsar (expired on 17.7.89)
22. Dr. Swapneshwar Panda
23. Vaidya Parmod Kumar Tewari
24. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
25. Vaidya Udai Shankar Sharma
26. Vaidya Gokulendra Sharma
27. Dr. V. Narayanaswami
28. Dr. Ram Prakash Gupta
29. Dr. Hukam Chand Sharma
30. Dr. Ram Kumar Sharma (expired on 12.8.89)
31. Dr. Prem Dutt Sharma

32. Dr. Mahendra Dutt Sharma
33. Dr. Ananda Roy
34. Dr. D. Rangachary (ceased membership from 22.9.89)
35. Dr. P. Seshi Reddy
36. Dr. K.K. Zala
37. Vaidya K.K. Pandey
38. Vaidya Shamlal Vashishtha (Shastri)
39. Dr. C. Chhapanmath (ceased membership from 22.9.89)
40. Dr. L. Chikkarajanna
41. Dr. S.V. Savadi
42. Vaidya Bhagyawanti Verma (ceased membership from 12.5.89
43. Dr. K. P. Sreekumari Amma
44. Vaidya M.P. Pandey
45. Dr. Sachchidnand Upadhyay
46. Dr. A.K. Dulani
47. Dr. G.L. Sharma
48. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
49. Vaidya D.M. Sant
50. Vaidya S.G. Phadke
51. Vaidya Shri Ram Sharma (ceased membership from 22.9.89)
52. Prof Hari Shankar Pandey (ceased membership from 2.5.89)
53. Dr. Krishna Bhatt Kaintaja
54. Prof. Ram Prakash Swami (Retired from 2.3.90)
55. Vaidya Radhakrishna Shridhar Waray
56. Pt. Keerti Sharma
57. Dr. R.N. Singh (Retired from 2.1.90)
58. Prof. L.M. Singh
59. Vaidya Hari Har Nath Upadhyay (Ceased membership from 2.3.9
60. Vaidya Jagannath Mishra
61. Vaidya S.K. Mishra
62. Dr. P.K. Debnath
63. Prof. R.C. Chaturvedi
64. Vaidya Hari Narayan Swami
65. Prof. V.J. Thakar
66. Dr. Ramesh Mishra
67. Acharya P.V. Sharma
68. Dr. S.T. Gujar
69. Vaidya Devendra Kumar Triguna

70. Kaviraj Nanak Chand Sharma
71. Vaidya K.S. Varier
72. Dr. B.A. Hiremath
73. Dr. Satyapal Gupta
74. Dr. D.L. Narayana
75. Vaidya K. Sadashiv Sharma
76. Vaidya Chandra Sekhar Gaur
77. Dr. P.C. Bhattacharya

SIDDHA

78. Dr. G. Annaswamy
79. Dr. C.P. Ramanathan
80. Dr. A. Anand Kumar (ceased membership from 22.9.89)
81. Dr. K. Palanichamy
82. Dr. P. Keshav Pillai (expired on 29.9.89)

UNANI

83. Hakim Mohd. Ashraf Karim
84. Dr. Madan Sarup Gupta
85. Hakim Mohammed Umar
86. Shri Dharam Chand
87. Dr. Daulat Ram Bharaj
88. Dr. Bansi Lal Pandita
89. Dr. Abdur Rahman
90. Hakim Abdul Mobin Khan
91. Hakim Ved Parkash Sharma
92. Hakim Mohd. Iqbal Khan
93. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
94. Dr. M.T. Khan
95. Hakim Mohd. Ahmad Lari
96. Dr. Syed Shaji Hyder
97. Dr. S.K. Khadri
98. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
99. Hakim M.A. Razzack
100. Hakim Abdul Hameedl
101. Hakim Faizan Ahmed
102. Hakim Faiyaz Alam
103. Dr. J.D. Sanderwale

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of the Council:

1.	Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	President
2.	Dr. Ram Kumar Sharma	Vice-President (Ayurved) upto 12.8.89
3.	Vaidya S.K. Chhangani	Vice-President (Ayurved) w.e.f 14.2.90
4.	Hakim M.A. Razzack	Vice-President (Unani)
5.	Dr. A. Anand Kumar	Vice-President (Siddha) upto 22.9.89
6.	Dr. S.I. Nagral	Chairman, Education Committee (Ayurved)
7.	Prof. Hakim Mohd. Taiyab	Chairman, Education Committee (Unani)
8.	Dr. A. Anand Kumar,	Chairman, Education Committee (Siddha) upto 22.9.89.
9.	Dr. Prasanna Kumar Jain	Chairman, Registration Committee
10.	Vaidya Pt. Mahesh Dutt Shastri	Chairman, Regulation Committee.

As per Section 9 (1) of the IMCC Act, 1970 the Central Council has the following main committees namely:

1. Ayurveda Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above committees consist of members elected under clauses (a), (b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine and elected under sub-section (3) of section 3, are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani systems of medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following committees under section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee was constituted in accordance with regulation No. 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by all the three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The following are the members of the Executive Committee:

Chairman
1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, President

Members
2. Dr. Ram Kumar Sharma Vice-President (Ayurved) (expired on 12.8.89).
3. Vaidya S.K. Chhangani, Vice-President (Ayurved) (w.e.f 14.2.90).
4. Hakim M.A. Raazzack, Vice-Presideent (Unani)
5. Dr. A. Anand Kumar, Vice-President (Siddha) (upto 22.9.89).
6. Dr. S.T. Gujar
7. Vaidya Parmod Kumar Tewari
8. Dr. Ram Prakash Gupta
9. Dr. K. Madhavan Nair
10. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
11. Hakim Ved Prakash Sharma
12. Dr. K. Palanichamy

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee was constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

Chairman
1. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri

Members
2. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, President
3. Dr. Ram Kumar Sharma, Vice-President (Ayurved) expired on 12.8.89.
4. Vaidya S.K. Chhangani, Vice-President (Ayurved) w.e.f 14.2.90
5. Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani)
6. Dr. A. Anand Kumar Vice-President (Siddha) up to 22.9.89
7. Vaidya Madan Mohan Pushkarna
8. Vaidya Hari Narain Swami
9. Dr. Swapneshwar Panda

10. Vaidya Panchayya Hosmath
11. Dr. Mahendra Dutt Sharma
12. Dr. Janardan N. Dave
13. Dr. P.B. Satakopacharya
14. Dr. Gulshan Rai Sharma
15. Dr. Maheshwar Pandey
16. Dr. D. Radhkrishnamurthy
17. Dr. J.D. Sanderwale
18. Dr. Bansi Lal Pandita
19. Dr. Abdur Rahman
20. Hakim Dharam Chand

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of Registration Committee:

Chairman
1. Dr. Prasanna Kumar Jain

Members
3. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah, President
2. Dr. Ram Kumar Sharma, Vice-President (Ayurved) expired on 12.8.98
4. Vaidya S.K. Chhangani, Vice-President (Ayurved) w.e.f. 14.2.90
5. Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani)
6. Dr. A. Anand Kumar Vice-President (Siddha) up to 22.9.89
7. Prof. R.C. Chaturvedi
8. Dr. Krishan Chander Sharma
9. Vaidya Harikrishan Joshi
10. Dr. P.K. Debnath
11. Dr. Prem Dutt Sharma
12. Dr. A.C. Rahula Kumar
13. Dr. D.R. Patel
14. Dr. B.A. Hiremath
15. Dr. Ram Prakash Gupta
16. Dr. Indra Mohan Jha
17. Dr. Madan Sarup Gupta
18. Dr. M.T. Khan
19. Dr. Hakim Mohammed Umar

20. Dr. Daulat Ram Bharaj
21. Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved Siddha and Unani:

AYURVED

Chairman
1. Dr. S.I. Nagral

Members
2. Dr. Ram Kumar Sharma, Vice-President (Ayurved) expired on 12.8.89
3. Vaidya S.K. Chhangani, Vice-President (Ayurved) w.e.f 14.2.90
4. Vaidya Shri Ram Sharma (upto 22.9.89)
5. Vaidya Devendra Kumar Triguna
6. Vaidya Nanak Chand Sharma
7. Vaidya Ram Prakash Swami (Retired on 2.3.90)
8. Vaidya Bhagyawanti Verma (upto 12.5.59)
9. Dr. Ananda Roy
10. Dr. Satyapal Gupta
11. Vaidya S.G. Phadke
12. Dr. Hukam Chand Sharma
13. Dr. Ram Prakash Gupta
14. Vaidya S.K. Mishra
15. Dr. Jagannath Mishra
16. Prof. P.V. Sharma
17. Prof Hari Shankar Pandey (Ceased membership 2.5.89)
18. Dr. Ramesh Mishra
19. Dr. B.N. Gupt
20. Dr. V. Narayanaswami

SIDDHA

1. Dr. K. Palanichamy
2. Dr. G. Annaswamy

UNANI

Chairman
1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab

Members
2. Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani)
3. Hakim Syed Shaji Hyder
4. Hakim Mohd. Ashraf Karim

5. Hakim Abdul Mobin Khan
6. Hakim Abdul Hameed
7. Hakim Faiyaz Alam
8. Hakim S.K. Khadri
9. Hakim Mohd. Iqbal Khan
10. Hakim Mohd. Ahmed Lari
11. Dr. Madan Sarup Gupta

During the year 1989-90 the following meetings were held:

1.	Central Council	One
2.	Ayurveda Committee	One
3.	Siddha Committee	Two
4.	Unani Committee	One
5.	Executive Committee	Three
6.	Education Committee (Ay)	Two
7.	Education Committee (Unani)	Two
8.	Registration Committee	One

The annual meeting of the Central Council was held from 1 to 16th Feb. 1990 at New Delhi. The Central Council ratified the minu of the meetings of various committees held during the year.
The Central Council made the following recommendations:—

AYURVED

1. The Central Council approved the guidelines for appointment of Dean of Ayurved Faculty in the University as under

i) He should possess a recognised medical qualification includ in the Schedules to the I.M.C.C. Act, 1970.

For the post of Dean/Principal/Head of the Department Chairman of Board of Studies, he should also possess any of qualification included in the Schedules to the IMCC Act, 1970.

2. The Central Council decided to allow the Gujarat Ayur University, Jamnagar to start Post-graduate diploma course Panchkarma keeping in view the facilities available in the institut

3. The Venkatarmana Ayurvedic College, Madras was allow to admit 20 students for the year 1989-90. It was also decided that

visitation be carried out before commencement of new session to ify the progress made for fulfilment of requirement and shortcomings inted out by the visitors.

4. The Central Council agreed to make the post of Speech therapist d Audiologist as the recommendatory provisions of the CCIM.

5. The Central Council agreed to implement the pattern of seven partment as mandatory. It was decided to press the institutions to plement pattern of 14 departments in Phase manner and the staffing ttern of hospital be stressed upon to be implemented.

6. The Central Council agreed to amend the prescribed regulations Post-graduate course as under:

"A full term Post-graduate degree course in Swasthavritt be ovided and provision for diploma be kept and syllabus including mes of paper for Ayurved Vachaspati course in Swasthavritt be epared".

7. The S.V. Ayurvedic College, Tirupati was permitted to admit students for the session 1989-90 subject to fulfilment of certain nditions/removal of shortcomings. It was decided to call for the mpliance report for fulfilment of shortcomings pointed out by the sitors. It was also decided that no permission be granted for admission students for the year 1990-91 unless the shortcomings are fulfilled.

8. The Central Council appreciated the efforts made for preparing Audio Cassettes on "Ayurved Ki Amar Kahani", by Tirhut Vidyapeeth, anti, Madhubani for the benefit of the teachers and students.

9. The Central Council agreed to for inclusion of the following ks as reference book in the syllabus of Ayurvedacharya course:

1. Abhinav Prasuti Vigyan by Ayodhya Prasad Achal
2. Kayachikitsa by Dr. Shivcharan Dhyani
3. Briht Dravyagunadarsh by Dr. Mahendar Kumar Shastri

10. The Central Council decided that strict warning be given to Vaidyaratnam Ayurvedic College, Kottakkal for fulfilment of minimum requirements. The Government Ayurved College, Tripunithura was permitted for conducting Ayurvedacharya course.

11. The Central Council decided that three years teaching perience as Lecturer in the subject concerned is essential for the post Senior Lecturer. The Lecturer be appointed directly as decided earlier.

12. The Central Council considered the compliance repor submitted by S.C. Mutha Aryangal Vaidyak Mahavidyalaya, Satara and observed that the college is not following staffing pattern as prescribed by the Central Council. It was decided that the practice to appoint fresh part time teacher for teaching of Post-graduate course should not be encouraged. However, in the present case of S.C. Mutha Aryangal Mahavidyalaya, Stara only two part time teachers in place of one full time teachers be allowed. One of them either professor or Reader should essentially be appointed as full time teacher. This may be followed strictly failing which the permission for conducting Post-graduate course be withdrawn.

13. The Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune, was permitted to start Post-graduate course in Siddhant and Darshan. After the Compliance report, the institution be revisited.

14. The Central Council did not agree to allow to conduct any examination of Vaidyavidwan course by Andhra Ayurved Parishad Vijayawada.

15. The Central Council felt that there is no necessity of reservation of seats for women candidates in view of the fact that the number of women candidates willing for postgraduate study in Ayurved is limited and interested candidates normally are admitted in the various courses offered by the institutions concerned.

16. The Central Council noted that the Maharashtra Government has permitted to start three Ayurvedic colleges in Shivaji University area without prior permission of the Central Council. It was decided to write to the State Govt. of Maharashtra strictly not to permit for opening new Ayurvedic colleges unless the Central Council permits the same.

17. The Central Council felt as the Post-graduate qualification has been made essential for teachers but there is no Post-graduate teaching arrangement in some states. Therefore, it is resolved that the Central Council may request the State Govts. to start Post-graduate training in all subjects.

18. The Central Council noted that keeping in view of the educational standards of Ayurved, the present Ayurved MahaVidyalaya specially in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar are not fulfilling the minimum standards and requirements which is mandatory. Therefore, immediate inspection be carried out. If the conditions are not according to the minimum standard laid down by the Central Council, the action be taken to derecognise the same.

19. The Central Council decided that a letter be sent to the authorities of Vaidyaratnam Ayurved College, Ollur and State Govt. for fulfilment of minimum requirements. The University concerned may also be informed and requested to ensure that the minimum requirements are fulfilled.

20. The Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Bombay was permitted to continue Post-graduate course in Ayurveda in speciality of Kayachikitsa, Dravyaguna and Ayurved Siddhant avam Samhita subject to fulfilment of conditions stated under visitation report.

21. The Central Council agreed to the recommendations of Ayurveda Committee that a letter be sent to the authorities of Gurukul Ayurved Mahavidyalaya, Haridwar, Bundelkhand Ayurved Mahavidyalaya, Jhansi and State Government for fulfilment of minimum requirements laid down by the CCIM.

VISITATION OF COLLEGES

The following institutions/Ayurvedic colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/Post-graduate education in conformity with regulations prescribed by the Central Council:

S.No.	Name of the College	Date of visitation	UG/PG
	Jiwaji University		
1.	*Govt. Ayurvedic College, Gwalior*	*25.2.89*	*PG*
	Gujarat Ayurved University		
2.	Institute of P.G.T. & R. Jamnagar	17–18.4.89	PG
	Madras University		
3.	Venkataraman Ayurvedic College Madras	19.6.89	UG
	Galcutta University		
4.	JB Roy State Ayurvedic College & Hospital, Calcutta	28.6.89	PG

	S.V. University, Tirupati		
5.	S.V. Ayurvedic College, Tirupati	20.8.89	UG
	Kerala University		
6.	Govt. Ayurvedic College, Tripunithura	8.8.89	UG
	Calicut University		
7.	Vaidyaratnam P.S. Warrier Ayurvedic College, Kottakal	9.8.89	UG
8.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur	5.9.89	UG
	University of Poona, Pune		
9.	Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune	4.9.89	PG
	Ravishankar University		
10.	Government Ayurved Mahavidyalaya Raipur	9.8.89	PG
11.	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Darbhanga	5.8.89	PG
	Bihar University, Muzaffarpur		
12.	Nitishwar Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Muzaffarpur	4.8.89	UG
13.	Ayurved Mahavidyalaya, Chhapra	7.8.89	UG
14.	Ayurved Medical College, Gaya	8.8.89	UG
	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya		
15.	Dharam Samaj Sanskrit Mahavidyalaya Muzaffarpur	4.8.89	UG
16.	Maharani Rameshwari Lata Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Mohanpur Darbhanga	5.8.89	UG
17.	P.B.N. Institute of Indian Medical Science, Madhubani	5.8.89	UG
18.	Dayanand Ayurved Mahavidyalaya, Siwan	6.8.89	UG

UNANI

1) The Central Council noted that contrary to the practice observed by the Medical Council of India, in Unani colleges the posts of Principal, Dean and Chairman of the departments are sometimes held by allopathic degree holders. It was resolved that as a matter of policy the post of Principal, Dean, Chairman/Head of the Department should be held by those who possess a recognised medical qualification of Unani Tibb

included in the I.M.C.C. Act, 1970. No person other than having Unani qualifications be appointed on the above mentioned posts.

2. The Central Council considered the resolution passed in the Executive Council of Andhra Pradesh University of Health Sciences, Vijayawada and was not in agreement with the stand taken by the University in respect of stopping the admission into Pre-Tib course from the year 1989-90 in Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool (AP). It was decided to recommend to the authorities of the University of Health Sciences, Vijayawada to maintain the status-quo for admission in Pre-Tib and Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool as this institution is following the Syllabus, Regulations and Curriculum of the CCIM and was recently affiliated to the S.V. University where Pre-Tib course was in vogue. It was further decided that students who have passed the Pre-Tib course are eligible for admission to the main degree course of Unani Tib without further entrance examination as is the practice in other Universities like Delhi, Aligarh, Poona, Rajasthan, Bihar etc.

3. The Curriculum for Diploma in Unani Pharmacy course was finalised. For the detail syllabus of the course, it was decided that a Sub Committee consisting of the following members may frame the syllabus:

1. Hakim M.A. Lari
2. Hakim Abdul Mobin Khan
3. Hakim Faiyaz Alam

4. The Central Council noted the compliance report indicating the improvement and progress made in Rajputana Ayurvedic & Unani Tibbi College, Jaipur after the last visitation on 21.11.88 and was of the opinion that the above college may be visited again to see what improvement has been made since the last visitation. It was also resolved that the visitation report may be placed before the Education Committee (Unani) again and its recommendation acted upon.

5. The Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee that a letter may be addressed to the State Govt. of Gujarat, Jammu & Kashmir, Orissa, Punjab, West Bengal and Himachal Pradesh to start atleast one Govt. Unani College in the State.

	S.V. University, Tirupati		
5.	S.V. Ayurvedic College, Tirupati	20.8.89	UG
	Kerala University		
6.	Govt. Ayurvedic College, Tripunithura	8.8.89	UG
	Calicut University		
7.	Vaidyaratnam P.S. Warrier Ayurvedic College, Kottakal	9.8.89	UG
8.	Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur	5.9.89	UG
	University of Poona, Pune		
9.	Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune	4.9.89	PG
	Ravishankar University		
10.	Government Ayurved Mahavidyalaya Raipur	9.8.89	PG
11.	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Darbhanga	5.8.89	PG
	Bihar University, Muzaffarpur		
12.	Nitishwar Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Muzaffarpur	4.8.89	UG
13.	Ayurved Mahavidyalaya, Chhapra	7.8.89	UG
14.	Ayurved Medical College, Gaya	8.8.89	UG
	Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya		
15.	Dharam Samaj Sanskrit Mahavidyalaya Muzaffarpur	4.8.89	UG
16.	Maharani Rameshwari Lata Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Mohanpur Darbhanga	5.8.89	UG
17.	P.B.N. Institute of Indian Medical Science, Madhubani	5.8.89	UG
18.	Dayanand Ayurved Mahavidyalaya, Siwan	6.8.89	UG

UNANI

1) The Central Council noted that contrary to the practice observed by the Medical Council of India, in Unani colleges the posts of Principal, Dean and Chairman of the departments are sometimes held by allopathic degree holders. It was resolved that as a matter of policy the post of Principal, Dean, Chairman/Head of the Department should be held by those who possess a recognised medical qualification of Unani Tibb

included in the I.M.C.C. Act, 1970. No person other than having Unani qualifications be appointed on the above mentioned posts.

2. The Central Council considered the resolution passed in the Executive Council of Andhra Pradesh University of Health Sciences, Vijayawada and was not in agreement with the stand taken by the University in respect of stopping the admission into Pre-Tib course from the year 1989-90 in Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool (AP). It was decided to recommend to the authorities of the University of Health Sciences, Vijayawada to maintain the status-quo for admission in Pre-Tib and Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool as this institution is following the Syllabus, Regulations and Curriculum of the CCIM and was recently affiliated to the S.V. University where Pre-Tib course was in vogue. It was further decided that students who have passed the Pre-Tib course are eligible for admission to the main degree course of Unani Tib without further entrance examination as is the practice in other Universities like Delhi, Aligarh, Poona, Rajasthan, Bihar etc.

3. The Curriculum for Diploma in Unani Pharmacy course was finalised. For the detail syllabus of the course, it was decided that a Sub Committee consisting of the following members may frame the syllabus:

1. Hakim M.A. Lari
2. Hakim Abdul Mobin Khan
3. Hakim Faiyaz Alam

4. The Central Council noted the compliance report indicating the improvement and progress made in Rajputana Ayurvedic & Unani Tibbi College, Jaipur after the last visitation on 21.11.88 and was of the opinion that the above college may be visited again to see what improvement has been made since the last visitation. It was also resolved that the visitation report may be placed before the Education Committee (Unani) again and its recommendation acted upon.

5. The Central Council agreed to the recommendations of Unani Committee that a letter may be addressed to the State Govt. of Gujarat, Jammu & Kashmir, Orissa, Punjab, West Bengal and Himachal Pradesh to start atleast one Govt. Unani College in the State.

SIDDHA

1. The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee that in order to spread the Siddha System of Medicine all over the country, all State Govts. be requested to start Siddha Medical College.

The Director of Indian Medicine and Homoeopathy, Tamilnadu be requested to take necessary steps for translation of Siddha (Tamil) books in English/Hindi. It will help the other State Government in opening/starting of Siddha College in their State. The Directorate of Indian Medicine, Govt. of Kerala may also be requested to expedite the proposal of opening of Siddha College in Kerala State.

2. The Central Council noted that the details of Sirappu Maruthuvam and Kuzhanthai Maruthuvam specialities of Post-graduate course were sent to Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under section 36 of I.M.C.C. Act, 1970. The Ministry of Health & Family Welfare has sent some observations on the above proposed specialities. The Central Council considered the observations of Ministry of Health & Family Welfare and revised the syllabus of both the specialities in comparison with the Post-graduate course of Ayurved and Unani prescribed by the Central Council.

3. The Central Council noted that the Ministry of Health & Family Welfare sent the various additions on the proposed syllabus of Demography in Family Welfare for colleges of Indian Systems of Medicine in Siddha. The same were considered and the syllabus alongwith additions proposed by the Ministry was approved.

4. The Central Council approved the three months short term Siddha course required for trained nurses.

5. The Central Council approved the detailed revised scheme/Syllabus of Post-graduate diploma courses in Siddha Medicine.

6. The Central Council agreed to the recommendations of Siddha Committee that the minimum 30% women candidates be admitted in the Post-graduate course of Siddha System of Medicine in accordance with the Government of India policy.

7. The Central Council felt that the number of representative of Siddha Systems of Medicine has come down drastically due to either death or retirement of the members. It was also felt that the nomination of members from Government of India under Section 3(1) (b) from

the Board of Studies of Madurai Kamraj University, Dr. M.G.R. Medical University of Tamilnadu, Bharathiar University, Kerala and Pondicherry State be nominated at the earliest for smooth running of the Siddha Committee at the Council in particular and Siddha Systems of Medicine in general.

8. The Central Council approved the revised syllabus of the BSMS course as finalised by the Siddha Committee.

GENERAL

1. The Central Council decided unanimously that Prof. Hakim Syed Habeefathullah, President, CCIM will represent the CCIM on the Central Advisory Board of Education for a term of 3 years from the date it is reconstituted.

2. The Central Council decided to place before meeting of the Central Council the gist of visitation reports only in future.

3. The Central Council resolved that the Govt. of Maharashtra and Himachal Pradesh may be requested to take immediate action to bifurcate the State Register of Ayurveda & Unani separately.

The Central Government on the advice of the Central Council notified the medical qualifications of ISM in the Gazette of India and included the same in the second schedule to the IMCC Act, 1970. During the year following medical qualifications awarded by Universities/institution mentioned against each were included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970:

Sl. No.	Name of Awarding Body	Qualification		Year
1	Gauhati University Guwahati	Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery (Ayurvedacharya)	BAMS	From 1970 onwards
2	Bangalore University Bangalore	Bachelor of the System of Ayurvedic Medicine	BSAM	From 1967 onwards
		Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	Up to 1987

		Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 198 onwards
3.	Berhampur University Berhampur	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 198 onwards
4.	S.V. University Tirupati	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 198 onwards
5.	Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy, Bhopal	Ayurveda Vigyanacharya (Ayurveda Vigyana-charya with Modern Medicine & (Surgery)	AVMS	From 196 to 1970
6.	Gulbarga University Gulbarga	Bachelor of System of Ayurvedic Medicine	BSAM	From 197 to 1983
		Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic) Medicine & Surgery)	BAMS	From 198 onwards
7.	University of Madras Madras	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS	From 198 onwards
8.	Jiwaji Vishwavidya-laya Gwalior	Doctor of Medicine (Ayurveda) (Dosh Dhatumal Vigyan)	M.D. (Ayurv-eda)	From 188 to 1987
		Doctor of Medicine (Ayurveda Sharir Kriya Vigyan)	M.D. (Ayurv-eda)	From 198 to 1987
9.	Doctor Harishingh Gour Vishwavidya-laya, Sagar	Bachelor of Unani Medicine & Surgery	BUMS	From 198 onwards

The preparation and maintenance of the Central Register of India Medicine is one of the main function of the Central Council. The wor of preparation of Central Register of Indian Medicine is in progres Every effort is being made to complete the Register shortly. It was note by the Central Council that some State Boards have not yet sent th complete information. The Central Council is in touch with thos Boards.

It was decided that the Central Register may be prepared an published in Gazette of India in respect of States from whom Sta

Board/Councils the required State Register/information have been received.

Accordingly, the Central Register of practitioners of I.S.M. registered with the Board of Assam State has been prepared and sent to the Government of India Press, Faridabad for Gazette Notification.

The Council maintains minimum standards of institutions/colleges of I.S.M. by carrying out visitation through the visitors of the Council to assess the availability of minimum standards and requirements as laid down by the Central Council in relation to department, teaching staff, student bed ratio, laboratory facilities, library facilities, building, herb garden, Pharmacy & Hospital facilities etc.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council noted that Ministry of Health & Family Welfare is of the view that Air travel permission to State Govt. servants attending the work of Central Council is a matter to be decided by the Finance Committee of the Council. The Executive Committee of Central Council is competent to decide the financial matters.

Accordingly, the Executive Committee approved the following provision to be added in the Standing Orders as under:

"The air travel permission to official members may be granted by the President of the Council provided they are entitled to travel by air according to State TA rules applicable to them and also fulfil the criterion laid down by the Government of India for sanction of air travel."

The criterion for air travel:

The distance involved is more than 500 kms.

The journey by train cannot be performed overnight by a direct train. The overnight period covers from 6.00 PM to 8.00 AM.

The Central Council approved the revised pay scale of Rs. 650-1200 for Asstt. Registrar (Ay. & Unani) in the Central Council to the pay scale of Rs. 2200-4000 as sanctioned by the Ministry of Health vide their order No. 60011/3/87-ISM dated 17.2.89 w.e.f. 1.1.86 to the officers of the C.C.R.A.S. having the same qualification and experience as applicable to the post of Asstt. Registrar (Ay. & Unani in the Council.)

The Central Council decided that the Central Government may

again be approached to extend the C.G.H.S. facilities to the employees of the Central Council of Indian Medicine like Central Council of Homoeopathy, Medical Council of India and Research Councils. Till that time the existing pattern will continue. However, the Registrar and two Asstt. Registrars (Ay. & Unani) were authorised to prescribe Ayurved and Unani Medicine respectively for the employees of the Council for the purpose of providing medical facilities to the family members of the employees and reimbursement of expenditure on the medicine.

The Central Council agreed to dispose of the obsolete/unserviceable article in the office of the Council after following the proper procedure.

The Central Council considered the Audit Report for the year 1988-89 in detail and approved the same with Audited accounts. It was of the opinion that the Ministry of Health & Family Welfare may be approached through a D.O. letter by the President of the Council to furnish form of accounts duly approved by the Govt. of India as early as possible so that the accounts may be submitted in the approved form in future. As regards para 5 pertaining to Pension-cum-Gratuity Scheme, it was decided that the employers' contribution with interest thereon from 1983 onwards towards Pension Fund is regularised to augment the Pension Fund for which no additional grant is being asked from the Government of India. Practically, the amount of employers contribution towards Pension Fund is somewhat the same what the Council was contributing when there was Contributory Provident Fund Scheme.

The amount contributed by the Council towards Pension Fund from 1983-84 to 1988-89 is regularised and in future also the Council shall continue to contribute 10% contribution as already approved for modalities for operation of Pension Fund as approved by the Central Council. For this purpose necessary provision is made by the Council and sanctioned by the Government of India every year under the primary unit "Contribution towards Pension Fund."

The Central Council resolved to sanction Non-Practising allowance to the Registrar and Asstt. Registrar (Ay. & Unani) as they possess medical qualification in ISM as an essential qualification and as they are also performing the clinical duties as Authorised Medical Attendant to the employees of the Council as admissible to officers of the same category in the sister Councils. This decision will take effect from 8.12.89.

The Central Council resolved to sanction a sum of Rs. 500/- per month to the part time private Secretary to the President w.e.f. 1.3.90.

The Central Council approved the revised Standing Orders for the employees of the Central Council of Indian Medicine.

The Central Council approved the amendment proposed to Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976.

BUDGETARY RESOURCES

	Non-Plan	Plan
Revised Estimates 1989-90 (Approved by the Council	14.62 lac	10.58 lac
Revised Estimates 1989-90 (Released by the Ministry)	13.00 lac	5.66 lac
Budget Estimate (1990-91 (Approved by the Central Council)	19.79 lac	39.00 lac
Budget Estimate 1990-91 (sanctioned by Ministry)	15.00 lac	6.00 lac

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of the 35 employees in the Central Council, the reservation made for different categories is as under:

Schedule Caste	5
Schedule Tribe	1
Physically Handicapped	2
Ex-Servicemen	1

NATIONAL SEMINAR-CUM-WORKSHOP ON IMMUNIZATION AND INVOLVEMENT OF ISM COLLEGES/PRACTITIONERS

The Council organised a National Seminar-cum-workshop on Immunization and Involvement of I.S.M. colleges/practitioners on 1st and 2nd June, 1989. The Seminar was inaugurated by Miss Saroj Khaparde, Minister of State for Health & Family Welfare. This Seminar was organised with the financial assistance of Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, UNICEF. Apart from the members of CCIM, the Principals of I.S.M. colleges and eminent practitioners of Indian Systems Medicine from all parts of the country participated in

the Seminar. Prof. Hakim S. Khaleefathullah, President, CCIM presided over the inaugural function. Late Dr. Ram Kumar Sharma, Vice-President (Ay.) Hakim M.A. Razzack, Vice-President (Unani), Dr. A.Anand Kumar (V.P. Siddha) Dr. S.I. Nagral, Chairman, Education Committee (Ay.) Hakim M. Taiyab, Chairman, Education Committee (Unani) and Vaidya Shriram Sharma, member, Executive Committee delivered their keynote addresses. Dr. A.K. Mukherjee, Addl. Director General (Public Health) Govt. of India and Dr. G.P. Talwar spoke on different aspects of Immunization and involvement of I.S.M. colleges/practitioners.

The participants were devided into groups for discussion as under:

Group I — Approach to Immunization-Role of Colleges/practitioners of I.S.M.

Group II — Distribution system of vaccines/Syringes etc.

Group III — Surveillance-feed back & data collection.

The group discussed in detail the topics assigned to them and gave their recommendations which were discussed in the delegates session. The final recommendations of the Seminar have been sent to the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India for their meaningful implementation. The report with recommendations of seminar is as under:

Our country is exceptional in that it has number of highly developed Indian Systems of Medicine, all active at the present time with their own recognised Practitioners, Medical Colleges, Hospitals and Research Institutions. They include Ayurved, Siddha and Unani Systems.

A two day National Seminar-cum-Workshop on Immunization and Involvement of ISM Colleges/Practitioners was organised by the Central Council of Indian Medicine with the financial assistance from the Ministry of Health & Family Welfare and UNICEF on 1 and 2nd June, 1989 at Hotel Taj Palace Intercontinental, New Delhi.

A cross section of the ISM community consisting of Members of Central Council of Indian Medicine, Principals of the ISM Colleges and Practitioners drawn from all over the country were invited. About 200 delegates attended the Seminar. The deliberations were exhaustive, critical and fruitful. At the end of the sessions the following resolutions alongwith the preamble were passed.

It was unanimous view of the participants that special preventive regimen of Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine with regard to pregnant mothers and neonatal care should be put to active clinical research with the co-operation of the research Councils of Ayurveda and Siddha (CCRAS) and Unani Medicine (CCRUM) and be undertaken on priority basis. Government should give them adequate funds for the implementation of the scheme and the drugs evolved through research by the Councils should constitute the part of the National Programme.

Keeping in view the National Health Policy in general and the Universal Immunization Programme in particular of the Government of India, the Seminar resolved that all Colleges of ISM and also Practitioners of ISM should be fully involved in the UIP as a part of Primary Health care system in phased manner. To implement this the CCIM was empowered to formulate action plan to make a beginning right away in involving the ISM colleges, Hospitals and Dispensaries including Private Medical Practitioners at par with that of allopathic system and providing them necessary training under a crash programme for proper and effective implementation of the EPI programme.

The Seminar felt that efforts of the administration in making the practitioners of ISM realise that they are equal partners in the country's overall Health Care delivery system will go a long way in calculating in them a sense of equal partnership which will help in making all such programmes a success.

The meeting was of the view that the syllabi of the under graduate training of the ISM Colleges contains essential of Immunization alongwith the components of Primary Health Care, so every graduate of ISM has minimum theoritical and practical training in Immunization Methodology and Primary Health Care.

To make the syllabi ideal the Central Council of Indian Medicine may take steps to include all aspects of Immunization alongwith the essential components of Primary Health Care, so that every graduate of ISM has adequate theoritical and practical training in all Immunization methodology and Primary Health Care.

To achieve the target by the involvement of the ISM Colleges and Practitioners the following resolutions were passed unanimously:

1. Resolved that every college of ISM should be attached with minimum three PHC's which are in the vicinity. The internees and the students should be posted for practical training in Immunization, Family Welfare and other National Programmes.

2. Resolved that Central and State Governments should actively involve all the ISM Colleges and Practitioners of Indian Systems in the National Health Programme including Family Welfare and Universal Immunization Programme. They should also be legally recognised and protected under the various laws of the land.

3. Resolved that every College of ISM should have a centre of Immunization immediately established, all necessary equipments and staff provided.

4. Resolved that Voluntary Organisations engaged in ISM should be encouraged to get themselves involved in UIP and give all essential equipments like Refrigerator and cold Chain and Vaccine free for administration to the pregnant mothers and children, through their own centre in urban and rural areas.

5. Resolved that the Practitioners of ISM should be encouraged to have immunization centre in their clinics and the authorities provide them with essential equipments and vaccines free of cost.

6. Resolved to give a short term training to the inservice candidates and practising physicians of ISM in immunization. The CCIM is requested to formulate the action plan with regard to the training programme.

7. Resolved that a detailed survey in respect of teaching institution of ISM should be completed by the CCIM on priority basis, a proforma to be worked out for this purpose to assess the availabile facilities in the department of Obstetrics and Gynaecology/Social and Preventive Medicine in respect of equipment, experts and para medical staff.

8. Resolved that a comprehensive and meaningful uptodate survey be made with regard to available manpower of ISM practitioners in respect of institutionally qualified and non-institutionally registered practitioners in urban and rural areas. Further resolved that the total number of practitioners who are willing to involve in the immunization programme be sorted out.

9. Resolved that all Government Dispensaries and Hospitals of ISM in urban and rural areas with the available infrastructure be determined so as to implement the National Immunization Programme. It was decided that there should be a separate mechanism for surveillance and data collection regarding ISM under the Directorate of ISM of each state and a statistical data collection unit should be established in each Directorate with the funds made available by the Central Government in these programmes.

It was also decided that for the effective surveillance and data collection, a Special Officer of higher status should be appointed in the Ministry of Health and Family Welfare.

The services of Directors of ISM, District ISM Officers and Medical Officers and the State dispensaries including General Practitioners of ISM can be utilised in the work of surveillance and data collection by providing necessary minimum facilities.

It was resolved to recommend that for planning, implementing and monitoring the programme a central state and district level committees respectively consisting of the following be constituted:

CENTRAL COMMITTEE

i) Secretary, Health and Family Welfare
ii) Director, Family Welfare
iii) Adviser (Ayurveda and Siddha)
iv) Adviser (Unani)
v) Representative of All India Ayurvedic Congress
vi) Representative of All India Unani Tibbi Conference
vii) Representative of National Integrated Medical Assocation
viii) The Director of CCRAS
ix) The Director of CCRUM
x) President of the Central Council of Indian Medicine
xi) One Expert Member each nominated from Ayurveda, Siddha & Unani Systems.

STATE LEVEL COMMITTEE

i) Secretary, Health and Family Welfare
ii) Commissioner Family Welfare/MCH
iii) Director ISM
iv) One Representative each of Association of Practitioners of ISM (Ayurveda, Siddha and Unani)
v) Representative of the State Councils of ISM

DISTRICT LEVEL COMMITTEE

i) District Collector

ii) District ISM officer

iii) District Health Officer

iv) District representatives of Association of Ayurveeda, Unani & Siddha

v) Principals of Colleges of Ayurveda, Siddha and Unani in district concerned.

For the implementation of the above schemes the Seminar felt that alongwith Government of India, the WHO and UNICEF should also be approached to provide adequate funds.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT - I
CENTRAL REVENUE, NEW DELHI

Confidential

No. OAD IV/SAR/CCIM/89-90/ Dated: 26.11.90

To
The Secretary to the Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhawan, New Delhi

Subj: Audit Report on the Central Council of Indian Medicines New Delhi for the year 1989-90.

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1989-90 together with the Audit Report thereon and Audit Certificate for being laid on the table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please be furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to Parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Sd/-
Deputy Director of Audit (Inspection - II)

Encl: As Above.

No. OA IV/SAR/CCIM/89-90/386

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Secretary, Central Council of Indian Medicine, 1E/6 Swami Ramtirath Nagar, New Delhi for necessary action with reference to their letter No. 10.10.90 Accts dated 10/10/90. The date on which the certified annual accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office along with supporting documents. Five copies of the Hindi Version of the Certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

DEPUTY DIRECTOR OF AUDIT
(INSPECTION - II)

No. OA IV/SAR/CCIM/89-90

Copy together with a copy of the certified annual accounts, th Audit Report thereon and the Audit Certificate forwrded to Sh. Saro Singh, Administrative Officer, (Rep-AB), office of the Comptroller & Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 88 - Report (Swa. Ni.)/ 84-90 dated 4/10/90.

A statement incorporating replies to Headquarter comments/observations is also enclosed.

This issues with the approval of D.A. C.R. - I.

Sd/-
DEPUTY DIRECTOR OF AUDI
(INSPECTION - II)

Encl. As above.

AUDIT REPORT ON THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE FOR THE YEAR 1989-90

AUDIT REPORT

Introduction

The Central Council of Indian Medicine (Council) was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objectives of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian medicine etc. and other matters connected therewith. The accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Power and Conditions of Service) Act, 1971. The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 18.66 lakh (Rs. 13.00 lakh under Non-Plan and Rs. 5.66 lakh under Plan) during 1989-90.

I. ANNUAL ACCOUNTS

A. Income and Expenditure Account

(i) On the Expenditure side of the Income and Expenditure Account, a sum of

COMMENTS OF THE COUNCIL

1. The Central Council of Indian Medicine was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the following main objects:

(i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz. Ayurveda, Siddha and Unani.

(ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.

(iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the register from time to time.

(iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics to be observed by the practitioners.

It will be seen from the above that the Central Council has already fulfilled the objects mentioned at (i), (ii) & (iv). The work of maintenance of Central Register of Indian Medicine is in full progress and it is expected that the work will be completed during 1990-91.

The Central Council is financed mainly by grants sanctioned by the Government of India. The Central Council received a total grant of Rs. 18.66 lakh (Rs. 13.00 lakh under Non Plan and Rs. 5.66 lakh under Plan) during the year 1989-90.

2A. The Council could not bifurcate the interest under Plan and Non Plan as no funds were available under Non Plan. Therefore, the total interest on GP Fund for 1989-90 was met out from the Plan. This has

Rs. 40,657/- was shown under the head "Interest to General Provident Fund (Plan)" for the year 1989-90. This expenditure should have been met from both "Plan" and "Non Plan" proportionatly. The Council stated, in July and October 1990, that interest for Plan and non Plan was not bifurcated as no funds were available under non Plan and that the matter would be taken up in the next meeting of the Executive Committee for approval.

B. Balance Sheet:

(i) The outstanding liability of rent of Rs. 5483/- at the end of 1989-90 was not exhibited in the balance sheet.

(ii) Assets worth Rs. 1,46,127.60 shown as addition during the year under Plan under 'Office Equipment during 1989-90 included Rs. 1,35,000/- being the advance payment for the purchase of one computer costing Rs. 1,47,000/-, which was received in May, 1990. The amount of Rs. 1,35,000/- should have been shown under 'Loans and Advances'.

(iii) Library books worth Rs. 769/-purchased during 1989-90 were not reflected in the Balance Sheet of the Council. The Council stated, in October, 1990, that books worth Rs. 675.00 which were taken from the party for perusal without any bill, had been wrongly entered in the Register and that necessary correction had since been carried out in the Accession Register.

(iv) The Council received grant-in-aid of Rs. 2,17,000.00 (Non Plan) for organising National Seminar-cum-workshop on Immunization during 1988-89. The Seminar was organised on 1st and 2nd June, 1989 and the expenditure of Rs. 1,71,881 was incurred on the same, thus leaving an unspent balance of Rs. 45,119.00 out of the grant. The Council in reply to the audit observation on the accounts for the year 1988-89 had stated that

been approved and regularised by t
Executive Committee at its 67th meeti
held on 6.12.90.

B (i) It is admitted that the amou
of Rs. 5,483/- on account of Rent shou
have been shown in liabilities side of t
Balance Sheet during 1989-90. A sum of
1,143/- has been paid to owner of t
building and the balance amount of
4,7000/- shall paid in the Court on t
Order of Court during 1990-91.

(ii) The necessary correction shall
made during 1990-91.

Necessary corrections has been made in t
Accession Register.

(iv) The unspent balance of
45,119/- which was not exhibited in th
balance sheet for 1989-90 would
exhibited in the balance sheet
1990-91.

the unspent balance was being refunded to the Ministry and would be shown in the accounts for 1989-90.

A scrutiny of the accounts for the year revealed that the unspent balance of Rs. 45,119.00 had not been refunded to the Ministry till the date of audit (July 1990). The amount was also not exhibited in the balance sheet. The Council stated, in October, 1990, that the unspent balance of Rs. 45,119 had been refunded to the Ministry of Health & Family Welfare in September, 1990 and necessary corrections would be exhibited in the Accounts for 1990-91.

3. Non-maintenance of Central Register

One of the main objectives of the Council was to maintain a Central Register of Indian Medicine which should contain the names of all persons who were for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possessed any of the recognised medical qualifications. Such a Register was deemed to be a Public Document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) and may be proved by publication in the Gazette of India. As already commented upon in the previous Audit Reports, such Register was maintained by the Council. Council stated (October 1990) that the Central Register pertaining to Assam State had already been notified in the Gazette of India in July, 1990 and in respect of States of Andhra Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Orissa, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal the Register had already been prepared and sent to the Government of India Press, Faridabad for Publication/ Gazette Notification. The Central Registers of Bihar, Delhi, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan were likely to be finalised by the end of the year. The States of Kerala and Uttar Pradesh had, however, not yet sent the State Registers/complete information on Central Register (October 1990).

3. The Central Register of Indian Medicine will be completed during 1990-91.

4. Pension cum Gratuity Scheme

Pension cum Gratuity Scheme including family pension scheme was introduced in

4. The Ministry of Health & Family Welfare had been requested to regularise the transfer of funds during 1983-84 to 1989-90 and onwards.

the Central Council with effect from April 1983. According to the terms and conditions of the the Scheme, no additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by the Central Government. The Pension Fund was to be created from the funds already available on account of Employer's contribution to Contributory Provident Fund together with interest that may accurue on investment of such funds. The Council had, however, transferred Rs. 2.05 lakh as employer's contribution during 1983-84 to 1989-90, including Rs. 0.50 lakh during 1989-90. The Ministry stated (January 1990) that the Council had no internal source of revenue to augment the Fund and had been transfering funds year after year from the sanctioned budget provisions. No specific sanction has been issued by the Ministry to regularise the transfer of funds. The irregular transfer of funds during 1983-84 to 1988-89 also commented upon in Audit Reports for 1987-88 and 1988-89. The Council stated, in October, 1990, that the Ministry of Health and Family Welfare had been requested to regularise the transfer of funds during 1983-84 to 1989-90.

5. Irregular Purchase of Computer worth Rs. 1,47,000/-

The Council made advance payment of Rs. 1,35,000/- against the invoice price of Rs. 1,47,000/- for a Computer PCAT-386 to a firm (March, 1990). The Council had neither made provision in the Budget Estimate/Revised Estimates for 1989-90 nor obtained the specific sanction/approval of the Ministry for the acquisition of the computer.

The computer was received in the Council in May, 1990 but it had not been installed till the date of Audit (July, 1990). The Council stated, in October 1990, that the computer had since been installed and the approved of the Executive Committee would also be taken to regularise the expenditure.

Sd/-

Principal Director of Audit - I
Place: New Delhi Central Revenues
Date:

5. The approval of the Executive Committee has been obtained to regularise the expenditure at its 67th meeting held on 6.12.90.

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipt & Payment Accounts/ Income and Expenditure Accounts for the year ended 31st March 1990 and the Balance Sheet as on 31st March 1990 of Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Principal Director of Audit - I
Central Revenues

Place: New Delhi.
Date:

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1990

RECEIPTS	NON PLAN		PLAN		PAYMENTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT		AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. Opening Balance as on 1.4.89					**1. Pay & Allowance**				
Cash at Bank	60,316.99		20,980.46		Pay of Officers	47,125.00		—	
Cash in hand	2,774.85		—		Pay Establishment	3,82,150.00		1,30,770.00	
Stamps in hand	40.60		—		Dearness Allowance	1,40,453.00		43,508.00	
Stamps in Franking Machine	2,294.72		—		House Rent Allowance	1,11,337.00		33,973.00	
Seminar's Grant-in-aid	2,17,000.00	2,82,427.16		20,980.46	City Compensatory Allow.	22,636.00		7,266.00	
					Washing Allowance	1,080.00		30.00	
					Extra Duty Allowance	213.90		37.95	
2. Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1989-90		13,00,000.00		5,66,000.00	Tuition Reimbursement	924.00		—	
					Medical Reimbusement	3,946.80		28,221.35	
					Leave Travel Concession	2,034.00		5,075.00	
3. Income other than Grant-in-aid					Bonus	23,004.00		7,772.00	
Misc. Receipts-Sh.Sube Singh	829.70				Leave Encashment	4,071.00		—	
Sale proceeds of Raddi	396.00				Remuneration PA to President	3,000.00	7,41,974.70	—	2,56,653.30
Interest of General Provident Fund	27,184.30	28,410.00		—					
4. Recovery of Advances					**2. Contingencies**				
Festival Advance	7,200.00		3,480.00		**(a) Recurring Expenditure**				
Scooter Advance	11,500.00		4,200.00		Stationery	4,378.66		15,415.80	
Car Advance	—		15,000.00		Telephone	56,094.00		2,095.00	
House Building Advance	—	18,700.00	15,600.00	38,280.00	Postage & Telegrams	13,889.15		—	
					Building Rent	60,317.00		—	
5. Miscellaneous Remittances					Electric Charges	5,647.86		—	
Group Insurance Scheme	6,660.00		2,505.00		Newspapers & Periodical Books	3,319.80		—	
Income Tax	10,728.00		1,064.00		Conveyance Expenses	4,801.80		—	
General Provident Fund	1,53,845.00	1,71,233.00	26,433.00	30,002.00	Maintenance of Office Equp.	8,326.63		—	
					Sundries including Liveries	50,238.25		7,382.89	
					Audit Fee	11,950.00		—	
					Legal Expenses	—		13,150.00	
					Advertisement	—		1,159.00	
					Printing Expenses	—	2,18,963.15	44,827.00	84,029.69
					(b) Non Recurring Expenditure				
					Books for Library	2,152.00		—	
					Air Cooling Applicances	—		5,172.80	
					Office Equipments	—	2,152.00	1,46,127.60	1,51,300.40
Balance C/F		18,00,770.16		6,55,262.46	**Balance C/F**		9,63,089.85		4,91,683.39

Balance C/F	18,00,770.16	6,55,262.46
Total	18,00,770.16	6,55,262.46

Balance B/F		9,63,089.85		4,91,683.39
3. Travelling Allowance				
President/Vice-President	34,222.00		—	
Secretary/Establishment	18,769.80		—	
Members of Council	1,45,218.00		—	
Members of Executive Committee	23,379.50		—	
Members of Edu. Committee (Ay)	28,259.00		—	
Members of Edu. Committee (Unani)	25,493.50		—	
Members of Edu. Committee (Siddha)	755.50		—	
Members of Registration Committee	25,255.50		—	
Members of Regulation Committee	31,735.50		—	
Members of Sub Committee	8,114.00		—	
Members of Visiting Committee	—	3,41,202.30	42,143.00	42,143.00
4. Payment of Advance				
Festival Advance	8000.00		4,000.00	
Scooter Advance	10,000.00	18,000.00	10,000.00	14,000.00
5. Miscellaneous Remittances				
Group Insurance Scheme	6,660.00		2,505.00	
Income Tax	10,728.00		1,064.00	
General Provident Fund	1,53,845.00	1,71,233.00	26,433.00	30,002.00
6. Countribution towards Pension		38,912.70		11,282.00
7. Interest to General Provident Fund		—		40,657.00
8. Seminar Expenses		1,71,881.00		—
9. Closing Balance as on 31.3.90				
Cash at Bank	95,021.79		25,195.07	
Cash in Hand	77.00		—	
Stamps in hand	78.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,274.42	96,451.31	—	25,195.07
Total		**18,00,770.16**		**6,55,262.46**

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1990

EXPENDITURE	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. Pay & Allowance				
Pay of Officers	47,125.00		—	
Pay of Establishment	3,82,150.00		1,30,770.00	
Dearness Allowance	1,40,453.00		43,508.00	
House Rent Allowance	1,11,337.00		33,973.00	
City Compensatory Allow.	22,636.00		7,266.00	
Washing Allowance	1,080.00		30.00	
Extra Duty Allowance	213.90		37.95	
Tuition Reimbursement	924.00	—	—	
Medical Reimbursement	3,946.80		28,221.35	
Leave Travel Concession	2,034.00		5,075.00	
Bonus	23,004.00		7,772.00	
Leave Encashment	4,071.00		—	
Remuneration PA to President	3,000.00	7,41,974.70	—	2,56,653.30
2. Contingencies				
Stationery	4,378.66		15,415.80	
Telephone	56,094.00		2,095.00	
Postage & Telegrams	13,889.15		—	
Building Rent	60,317.00		—	
Electric Charges	5,647.86		—	
Newspapers & Perodical Books	3,319.80		—	
Conveyance Expenses	4,801.80		—	
Maintenance of Office Equipments	8,326.63		—	
Sundries including Liveries	50,238.25		7,382.89	
Audit Fee	11,950.00		—	
Printing Expenses	—		44,827.00	
Advertisement	—		1,158.51	
Legal Expenses	—	2,18,963.15	13,150.00	84,029.20
Balance C/F		**9,60,937.85**		**3,40,682.50**

INCOME	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during the year 1989-90	13,00,000.00		5,66,000.00	
Less Grant Capitalised.	2,152.00	12,97,848.00	1,51,300.40	4,14,699.60
Miscellaneous Receipts				
Sale proceeds of Raddi	396.00		—	
Sh. Sube Singh	829.70		—	
Interest of G.P. Fund	27,184.30	28,410.00	—	
Excess of Expenditure over Income		14,794.85		20,064.90
Balance C/F		**13,41,052.85**		**4,34,764.50**

Balance C/F		**9,60,937.85**		**3,40,682.50**
3. Travelling Allowance				
President/Vice-President	34,222.00		—	
Secretary/Establishment	18,769.80		—	
Members of Council	1,45,218.00		—	
Members of Executive Committee	23,379.50		—	
Members of Edu. Committee (Ay)	28,259.00		—	
Members of Edu. Committee (Unani)	25,493.50		—	
Members of Edu. Committee (Siddha)	755.50		—	
Members of Registration Committee	25,255.50		—	
Members of Regulation Committee	31,735.50		—	
Members of Sub-Committee	8,114.00		—	
Members of visiting Committee	—	3,41,202.30	42,143.00	42,143.00
4. Contribution towards Pension Fund		38,912.70		11,282.00
Interest to General Provident fund		—		40,657.00
Total		**13,41,052.85**		**4,34,764.50**

Balance B/F	**13,41,052.85**	**4,34,764.50**
Total	**13,41,052.85**	**4,34,764.50**

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF
BALANCE SHEET AS ON

LIABILITIES	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
General Reserve				
Assets acquired the day of Estts.		20,080.15		
Assets Acquired out of Govt. Grant				
As per Last Balance Sheet	2,41,030.31		3,64,382.74	
Add-Grant capitalise during the year	2,152.00	2,43,182.31	1,51,300.40	5,15,683.14
Sub Total		**2,63,262.46**		**5,15,683.14**
Excess of Income over Expend. as per Last Balance Sheet	82,405.97		1,82,858.97	
Less Excess of Expenditure over income during the year	14,794.85		20,064.90	
	67,611.12		1,62,794.07	
Add-Adjustment of suspense	781.19	68,392.31	1,221.00	1,64,015.07
Suspense Account				
As per Last Balance Sheet	781.19		1,221.00	
Less Adjusted	781.19	Nil	1,221.00	Nil
Davp				
As per Last Balance Sheet			0.49	
Less Redeemed		—	0.49	Nil
Seminar				
As per Last Balance Sheet	2,17,000.00			
Less Redumption during the year	1,71,881.00	45,119.00		—
General Provident Fund		4,82,959.00		—
Pension Fund		3,48,145.78		—
Balance C/F		12,07,878.55		6,79,698.21

INDIAN MEDICINE
31ST MARCH, 1990

ASSETS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Non Recurring Nature				
i) **Furniture & Fixture**				
As per last Balance Sheet		76,564.68		25,205.18
ii) **Library Books**				
As per Last Balance Sheet	23,472.01			
Addition during the year	2,152.00	25,624.01		
Air Colling Appliances				
As per Last Balance Sheet	38,537.53		21,617.00	
Addition during the year	—	38,537.53	5,172.80	26,789.80
Office Equipments				
As per Last Balance Sheet	1,22,536.24		3,17,560.56	
Addition during the year	—	1,22,536.24	1,46,127.60	4,63,688.16
Sub Total		2,63,262.46		5,15,683.14
Recurring Nature Loans and Advance				
i) **Festival Advance**				
As per Last Balance Sheet	4,760.00		1,000.00	
Addition during the year	8,000.00		4,000.00	
	12,760.00		5,000.00	
Less Recoveries during the year	7,200.00	5,560.00	3,480.00	1,520.00
ii) **Scooter Advance**				
As per Last Balance Sheet	13,000.00		9,000.00	
Addition during the year	10,000.00		10,000.00	
	23,000.00		19,000.00	
Less Recoveries during the year	11,500.00	11,500.00	4,200.00	14,800.00
Balance C/F		280,322.46		5,32,003.14

Balance C/F	**12,07,878.55**	**6,79,698.21**
Total	**12,07,878.55**	**6,79,698.21**

Balance C/F		**2,80,322.46**		**532,003.14**
(iii) Motor Car Advance				
As per Last Balance Sheet	—		45,000.00	
Less Recoveries during the year	—		15,000.00	30,000.00
(iv) House Building Advance				
As per Last Balance Sheet	—		1,08,100.00	
Less Recoveries during year	—		15,600.00	92,500.00
Closing Balance As on 31.3.90				
Cash in hand	77.00		—	
Cash at Bank	95,021.79		25,195.07	
Stamps in hand	78.10		—	
Stamps in Franking Machine	1,274.42	96,451.31		25,195.07
General Provident Fund		4,82,959.00		—
Pension Fund		3,48,145.78		
Total		**12,07,878.55**		**6,79,698.21**

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF
GENERAL PROVIDENT FUND RECEIPTS AND PAYMENT

RECEIPTS		AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 2.4.89			
in Saving Bank Account with Bank of India			19,165.87
Additional Subscription			
Non Plan	63,581.00		
Plan	12,250.00	75,831.00	
Subscription by Employees			
Non Plan	31,774.00		
Plan	9,423.00	41,197.00	1,17,028.00
Recovery of Loan from Employees			
Non Plan	83,475.00		
Plan	11,980.00		95,455.00
Interest earned from Bank on Saving Bank Account, Monthly Income Certificate and Special Deposit Scheme			27,184.30
Ammount received from Council for Interest 1989-90.		40,657.00	
Total			2,99,490.17

INDIAN MEDICINE
ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1990

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Loan Granted to Employees		
Non Plan	1,00,000.00	
Plan	12,700.00	1,12,700.00
Final withdrawal to employees		39,806.00
Investment in Monthly Income certificate		1,00,000.00
Transferred to Pension Fund		50.87
Transferred to Council		27,184.30
Closing Balance as on 31.3.1990 in Saving Bank Account with Bank of India		19,749.00
Total		2,99,490.17

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF GENERAL PROVIDENT FUND

1988-89	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
	Employees Subscription		
260,707.87	As per last Balance Sheet	3,65,130.87	
95,501.00	Addition during the year	1,17,028.00	
3,56,208.87		4,82,158.87	
20,000.00	Less Final withdrawal during the year	39,806.00	
3,36,208.87		4,42,352.87	
28,922.00	Add Interest earned during the year	40,657.00	
3,65,130.87		4,83,009.87	
	Less Transferred to Pension Fund	50.87	4,82,959.00
3,65,130.87	Total		4,82,959.00

INDIAN MEDICINE NEW DELHI
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1990

1988-89	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
19,165.87	In Saving Bank Account with Bank of India		19,749.00
19,165.87			
	INVESTMENT		
	(a) Monthly Income Certificate		
50,000.00	As per last Balance Sheet	50,000.00	
—	Addition during the year	1,00,000.00	1,50,000.00
50,000.00			
	(b) Special deposit Scheme		
1,70,500.00	As per Last Balance Sheet		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(c) National Saving Certificate		
75,000.00	As per Last Balance Sheet		75,000.00
75,000.00			
	(d) Loan to Employees		
52,265.00	As per Last Balance Sheet	50,465.00	
48,200.00	Addition during the year	1,12,700.00	
1,00,465.00		1,63,165.00	
50,000.00	Less Recoveries during the year	95,455.00	67,710.00
50,465.00			
3,65,130.87	**Total**		4,82,959.00

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF
PENSION-CUM-GRATUITY FUND RECEIPTS AND PAYMENT

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 2.4.89 in Saving Bank with bank of India		1,307.51
Contribution from Non Plan Scheme	38,083.00	
Contribution from Plan Scheme	11,282.00	
Contribution from Sh. Sube Singh	829.70	
Transferred from General Provident Fund	50.87	50,245.57
Interest earned from Bank on Saving Bank Account and Monthly Income Certificate		17,592.70
Monthly Income Certificate Matured		124,000.00
Total		1,93,145.78

INDIAN MEDICINE
ACCOUNT FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1990

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Investment in Monthly Income Certificate		1,79,000.00
Closing Balance as on 31.3.90 Saving Bank Account with bank of India		14,145.78
Total		1,93,145.78

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL COUNCIL OF PENSION-CUM-GRATUITY FUND

1988-89	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
3,48,665.97	As per last Balance Sheet	2,80,307.51	
	Addition During the year		
50,653.00	Contribution	50,245.57	
16,988.54	Interest	17,592.70	
4,16,307.51		3,48,145.78	
1,36,000.00	Less transferred to Council	—	
2,80,307.51			3,48,145.78
2,80,307.51	**Total**		3,48,145.78

INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 1990

1988-89	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
1,307.51	In Saving Bank Account with Bank of India		14,145.78
1,307.51			
	INVESTMENT		
	(a) National Saving Certificate		
1,20,000.00	As per Balance Sheet		1,20.000.00
1,20,000.00			
	(b) Monthly Income Certificate		
2,24,000.00	As per last Balance Sheet	1,59,000.00	
1,00,000.00	Less-Redeemed	35,000.00	
1,24,000.00		1,24,000.00	
35,000.00	Addition during the year	90,000.00	2,14,000.00
2,80,307.51	**Total**		3,48,145.78

Sd/-
Secretary
Central Council of Indian Medicine
New Delhi